



The Jharkhand State Open University Act, 2021

Act No. 12 of 2021

Keywords:

Open and Distance Learning, Learner Support Services, Self-Learning Material

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-568 राँची, मंगलवार,

23 नवम्बर, 2021 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

22 नवम्बर, 2021

संख्या-एल०जी०-10/2021-82—लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-02/11/2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021

(झारखण्ड अधिनियम संख्या-12, 2021)

प्रस्तावना

झारखण्ड राज्य के शैक्षिक पद्धति में खुला विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों की शुरुआत और संवर्धन के लिए राज्य स्तर पर एक खुला विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित करने और ऐसी प्रणालियों में मानकों के निर्धारण और समन्वय के लिए अधिनियम ।

भारत गणतंत्र के 72^{वें} वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

अध्याय -1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

- (1) इस अधिनियम को झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह झारखण्ड राज्य के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित करने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: -

- (i) "अकादमिक परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद्;
- (ii) "शैक्षणिक सत्र" से अभिप्रेत है प्रत्येक वर्ष के जनवरी या जुलाई के महीने में आरंभ होने वाली बारह माह की अवधि;
- (iii) "सहायक आचार्य" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का ऐसा शिक्षक जिसे परिनियम द्वारा विहित अर्हता प्राप्त हो और जो विहित रीति से इस रूप में नियुक्त किया गया हो;
- (iv) "सह आचार्य" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का ऐसा शिक्षक जिसे परिनियम द्वारा विहित अर्हता प्राप्त हो और जो विहित रीति से इस रूप में नियुक्त/प्रोन्नत किया गया हो;
- (v) "प्राधिकार" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के प्राधिकार;
- (vi) "आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र"(सी आई क्यू ए) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र;
- (vii) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;
- (viii) "समन्वयक" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र का प्रधान;
- (ix) "परामर्शदाता" से अभिप्रेत है शिक्षक, जिसमें आचार्य, सह -आचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्ति सम्मिलित हैं जो किसी भी विद्यापीठ में या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित और प्रबंधित या मान्यता प्राप्त किसी भी अध्ययन केंद्र में अनुदेश प्रदान करते हैं;
- (x) "निदेशक" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के विद्यालयों के निदेशक और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र के निदेशक;

- (xi) "दूर-शिक्षा पद्धति" से अभिप्रेत है संचार के किसी भी साधन, जैसे प्रसारण, टेलिविजन से प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, विचार गोष्ठियों, संपर्क कार्यक्रमों या ऐसे साधनों में से किन्हीं दो या अधिक के समुच्चय द्वारा शिक्षा देने की पद्धति;
- (xii) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, और इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी शामिल हैं;
- (xiii) "कार्यकारी परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद्;
- (xiv) "वित्त समिति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की वित्त समिति;
- (xv) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार;
- (xvi) "शिक्षार्थी सहायता सेवाएँ" से अभिप्रेत है ऐसी सेवाएँ जो शिक्षार्थियों द्वारा अध्ययन के एक कार्यक्रम के संबंध में इस अधिनियम के द्वारा या अधिनियम की ओर से निर्धारित स्तर तक शिक्षण-अधिगम अनुभवों को अधिग्रहण करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है।
- (xvii) "खुला एवं दूरस्थ शिक्षण" से अभिप्रेत है उन शिक्षार्थियों को शिक्षा और निर्देश देने की एक पद्धति, जो कक्षा की पारंपरिक व्यवस्था में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं। पाठ्यक्रम का संचालन विशेष रूप से तैयार सामग्री (स्वयं अध्ययन शिक्षण सामग्री) के माध्यम से प्रभावित होता है, जो विभिन्न माध्यमों जैसे कि प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, उपग्रह, ऑडियो / वीडियो टेप, सीडी- रोम, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब आदि के माध्यम से शिक्षार्थियों को उनके दरवाजे तक पहुंचाए जाते हैं।
- (xviii) योजना बोर्ड "से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का योजना बोर्ड;
- (xix) "विहित" से अभिप्रेत है किस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेश हो विनियमों या नियमों द्वारा विहित;
- (xx) "आचार्य" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का ऐसा शिक्षक जिसे परिनियमों द्वारा यथाविहित अहर्ता प्राप्त हो और जो विहित रीति से इसमें नियुक्त/प्रोन्नत किया गया हो;
- (xxi) "कार्यक्रम" से अभिप्रेत है पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के कार्यक्रम जिसमें विश्वविद्यालय में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर डिग्री प्रदान की जाती है;
- (xxii) "कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का शिक्षक जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी कार्यक्रम/ पाठ्यक्रम में शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के समन्वय के लिए उत्तरदायी है;

- (xxiii) “प्रतिकुलपति” से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति;
- (xxiv) "मान्यता प्राप्त संस्थान" से अभिप्रेत है अनुसंधान या विशेषीकृत अध्ययनों के लिए स्थापित और विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान;
- (xxv) "क्षेत्रीय केंद्र" से अभिप्रेत है, किसी भी क्षेत्र में अध्ययन केंद्रों के कार्यों के समन्वय और पर्यवेक्षण एवं प्रदत्त अन्य कार्यों को सम्पादित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित केंद्र;
- (xxvi) विनियम" से अभिप्रेत हैं इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार द्वारा बनाए गए विनियम, जो तत्समय प्रवृत्त हैं;
- (xxvii) विद्यापीठ" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय में अध्ययन के विद्यापीठ;
- (xxviii) “स्वाधिगम सामग्री” से अभिप्रेत एवं इसमें शामिल है पाठ्यसामग्री के रूप में विषय वस्तु, चाहे मुद्रित हो या गैर मुद्रित, जो अपने आप में स्व-व्याख्यात्मक हो, स्वपूर्ण हो, शिक्षार्थी हेतु स्वतः निर्देश देने वाली, स्व-मूल्यांकन कराने वाली और अध्ययन के पाठ्यक्रम में सीखने के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को सक्षम बनाने वाली, परन्तु इसमें पाठ्य-पुस्तकें अथवा गाइड-बुक शामिल नहीं हैं;
- (xxix) “परिनियम” और अध्यादेश” से अभिप्रेत हैं क्रमशः विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त परिनियम और अध्यादेश;
- (xxx) “छात्र” से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कोई छात्र और उसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी, जिसने स्वयं को विश्वविद्यालय के किसी अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए नामांकित कराया है;
- (xxxi) “अध्ययन केन्द्र” से अभिप्रेत है ऐसा केन्द्र जो छात्रों को ऐसी सलाह देने, परामर्श देने या शिक्षा प्रदान करने या कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए, जो उनके द्वारा अपेक्षित हो, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया है या चलाया जा रहा है या मान्यता प्राप्त है;
- (xxxii) “शिक्षक” से अभिप्रेत है आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित और प्रबंधित या मान्यता प्राप्त किसी विद्यापीठ या अध्ययन केंद्र में शिक्षा प्रदान करते हो;
- (xxxiii) “विश्वविद्यालय” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन यथागठित झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय;
- (xxxiv) “विश्वविद्यालय क्षेत्र” से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जहां तक इस अधिनियम का विस्तार हो;

- (xxxv) “विश्वविद्यालय मुख्यालय” से अभिप्रेत है वह स्थान जहां विश्वविद्यालय के प्रशासी कार्यालय अवस्थित हों;
- (xxxvi) “विश्वविद्यालय निधि” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय की निधि;
- (xxxvii) “कुलपति” से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति;

अध्याय-2

विश्वविद्यालय: उद्देश्य, शक्तियाँ, कार्य

3. विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन-

- (1) झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा ।
- (2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय रांची (झारखण्ड) में होगा और वह अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे अन्य स्थानों पर, जो वह ठीक समझे, क्षेत्रीय केन्द्र और अध्ययन केन्द्र भी स्थापित कर सकेगा या उन्हें चला सकेगा ।
- (3) इस विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ-
 - (i) किसी भी अन्य विश्वविद्यालय; जिसका मुख्यालय झारखण्ड राज्य के बाहर स्थित है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर झारखण्ड राज्य में खुली और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से संचालित अपने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को बंद कर देगा, ऐसा करने में विफल रहने पर ऐसे विश्वविद्यालयों द्वारा उक्त कार्यक्रम(मों) की निरंतरता को अनधिकृत माना जाएगा ।
 - (ii) उपर्युक्त खंड (i) के प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।
- (4) प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, प्रथम प्रतिकुलपति, कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद् का प्रत्येक सदस्य और व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे पदाधिकारी या सदस्य जब तक वह ऐसे पद या सदस्यता धारण किए रहें, साथ मिलकर उप धारा 3 (1) में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के नाम से एक निगम निकाय गठित करेंगे ।
- (5) विश्वविद्यालय को शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर होगी तथा वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा ।

- (6) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके खिलाफ सभी मुकदमों और अन्य कानूनी कार्यवाही में, वादों पर हस्ताक्षर और सत्यापन कुलसचिव द्वारा और ऐसे मुकदमों की सभी प्रक्रियाओं और कार्यवाही को कुलसचिव को जारी एवं तामिल किया जाएगा।

4. विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार-

संचार के किसी भी माध्यम जैसे प्रसारण, टेलीकास्टिंग, पत्राचार, सेमिनार, परामर्श कक्षाएं, ऑनलाइन कक्षाएं या ऐसे किसी भी दो या अधिक साधनों के संयोजन के जरिये निर्देश और प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार पूरे झारखण्ड राज्य में होगा, लेकिन किसी भी दशा में विश्वविद्यालय की अधिकारिता उन विश्वविद्यालयों, विभागों, महाविद्यालयों और संस्थानों तथा अन्य निकायों पर नहीं होगी जो किसी विधा- शाखा में औपचारिक शिक्षा देने के लिए झारखण्ड राज्य में स्थापित किए गए हों।

परंतु यह कि विश्वविद्यालय झारखण्ड राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों या निकायों की सहमति से अध्ययन केंद्रों की स्थापना के लिए उन विश्वविद्यालयों और निकायों या झारखण्ड राज्य में कार्यरत उनके महाविद्यालयों के भवनों, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और शिक्षकों की सेवाओं का उपयोग अंशकालिक आधार पर ऐसी शर्तों और बंधेजों पर कर सकेगा जो राज्य सरकार की सलाह से कुलाधिपति द्वारा अवधारित किए जायें :

परंतु यह और कि भारतीय संघ के व्यक्ति विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में नामांकन कराने के हकदार होंगे।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य-

- (1) विश्वविद्यालय के उद्देश्य होंगे –

ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं और दूरस्थ शिक्षा माध्यम, जैसे, मुद्रित माध्यम (पत्राचार पाठ्यक्रम), संपर्क कार्यक्रम, अध्ययन केंद्रों और जनसंपर्क साधनों के जरिए अपनी शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं अथवा विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और अध्ययन अर्जित करना चाहते हैं।

आबादी के बड़े खंडों और विशेष रूप से वंचित समूहों जैसे दूरदराज, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों समेत कामकाजी लोगों, गृहिणियों और अन्य वयस्कों जो अध्ययन के माध्यम से ज्ञान का उन्नयन या अधिग्रहण करना चाहते हैं, के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना।

नामांकन की पात्रता, प्रवेश की आयु, पाठ्यक्रम की पसंद, शिक्षा पद्धति, परीक्षाओं का संचालन और कार्यक्रम के परिचालन के संबंध में लचीलापन लाना जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के वर्तमान विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के अनुरूप होंगे। उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चलाना तथा ज्ञान के संवर्धन और प्रसार के लिए शोध की व्यवस्था करना।

संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित विभिन्न माध्यमों से शिक्षण और ज्ञान को आगे बढ़ाना और प्रसारित करना।

तेजी से विकसित और बदलते समाज में ज्ञान के अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए और मानव प्रयासों के सभी क्षेत्रों में नवाचारों, अनुसंधान और खोज के संदर्भ में ज्ञान, प्रशिक्षण और कौशल के उन्नयन के अवसर प्रदान करना।

विश्वविद्यालय के मुख्यालय में अध्ययन के निम्नलिखित विद्यालय स्थापित करना, यथा-

- (i) मानविकी विद्यापीठ,
- (ii) सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ,
- (iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विद्यापीठ,
- (iv) शिक्षा विद्यापीठ,
- (v) सतत और विस्तार शिक्षा विद्यापीठ,
- (vi) व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन विद्यापीठ,
- (vii) स्वास्थ्य देखभाल अध्ययन विद्यापीठ,
- (viii) कंप्यूटर और सूचना विज्ञान विद्यापीठ,
- (ix) कृषि विज्ञान विद्यापीठ,
- (x) जनजातीय अध्ययन विद्यापीठ,
- (xi) पत्रकारिता और जनसंचार विद्यापीठ,
- (xii) पर्यटन और आतिथ्य सेवा प्रबंधन विद्यापीठ,
- (xiii) व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण विद्यापीठ,
- (xiv) सामाजिक कार्य विद्यापीठ,
- (xv) स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज
- (xvi) सरकार की स्वीकृति से अन्य विद्यापीठ

झारखण्ड में शैक्षिक प्रणाली के सुधार में योगदान हेतु ग्रंथों और विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विभिन्न सॉफ्टवेयर का व्यापक उपयोग करके निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु औपचारिक प्रणाली के पूरक अनौपचारिक प्रणाली प्रदान करना:-

- (i) विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए,
 - (ii) अपने छात्रों को परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए,
- (2) विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के साधनों की विविधता से उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा और मौजूदा विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग में कार्य करेगा तथा शिक्षा की उच्च गुणवत्ता प्रदान करने की समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान और नई शैक्षिक प्रौद्योगिकी का पूर्ण उपयोग करेगा।

6. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य-

विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे:-

- (1) ज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और वृत्तियों की ऐसी शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर निर्धारित करे, प्रवेश अनुदेश और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान के लिए व्यवस्था करना;
- (2) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, अध्ययन पाठ्यक्रमों की योजना बनाना और उन्हें विहित करना;
- (3) परीक्षायें लेना और उन व्यक्तियों को, जिन्होंने परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित रीति से पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किया या अनुसंधान किया है, उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें या मान्यतायें प्रदान करना;
- (4) परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से मानद उपाधि या अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना;
- (5) उस रीति का निर्धारण करना जिसमें विश्वविद्यालय के शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में दूरस्थ शिक्षा आयोजित की जा सकेगी;
- (6) शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और महिलाओं के बीच उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रावधान करना;
- (7) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को परिनियम द्वारा विहित तरीके से वापस लेना या निरस्त करना;
- (8) शिक्षण देने के लिए या शैक्षणिक सामग्री तैयार करने के लिए या ऐसे अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए जिनके अंतर्गत पाठ्यक्रमों के

लिए मार्गदर्शन, उनकी रूपरेखा तैयार करना और उनका प्रस्तुतीकरण भी है, और छात्रों द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन के लिए आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य से संबंधित पद और अन्य शैक्षणिक पद संस्थित करना तथा ऐसे आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य और अन्य शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

- (9) अन्य विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थाओं, वृत्तिक निकायों और संगठनों के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, सहयोग करना और उनका सहयोग प्राप्त करना;
- (10) ट्रस्ट और दान निधि रखने और प्रबंधित करने तथा अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और योग्यता की मान्यता के लिए ऐसे अन्य पारितोषिक संस्थित करना और देना, जो विश्वविद्यालय ठीक समझे;
- (11) खुला एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति में उच्च शिक्षा के उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रम प्रदान करने के लिए व्यापक और गतिशील आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली को विकसित और स्थापित करने के लिए आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र (CIQA) की स्थापना करना। आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र (CIQA) के कार्य इस अधिनियम के तहत बनाए गए परिनियमों/विनियमों द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।
- (12) ऐसे उपाय करना जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन द्वारा विकसित सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को शामिल किया जा सके ताकि शिक्षण-ज्ञान अर्जन प्रक्रिया तथा प्रशासनिक कामकाज की प्रभावकारिता को बढ़ाया जा सके तथा हर समय प्रवेश, पंजीकरण की स्थिति के संबंध में जानकारी को अद्यतन रखा जा सके, ज्ञान अर्जक द्वारा दी गई प्रतिप्राप्ति के साथ संप्रेषण के माध्यम से ज्ञान अर्जन हेतु ऑनलाइन सहायता के माध्यम से शिक्षण-ज्ञान अर्जन क्रियाकलापों का प्रबंधन किया जा सके, खुला शिक्षा संसाधनों (ओ० ई० आर०), बृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के उपयोग हेतु सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ वृहद मूल्यांकन, प्रमाणन तथा छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए अन्य वस्तुओं के संबंध में आवश्यक कदम उठाया जा सके।
- (13) ऐसे क्षेत्रीय केंद्रों को स्थापित करना और बनाए रखना जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएं;

- (14) परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से अध्ययन केंद्रों की स्थापना और रखरखाव करना;
- (15) इस अधिनियम के तहत बनाए गए परिनियमों द्वारा विहित तरीके से अनुसंधान विभागों की स्थापना, रखरखाव और प्रबंधन करना;
- (16) क्षेत्रीय केंद्रों, अध्ययन केंद्रों और मान्यता प्राप्त संस्थानों का निरीक्षण करना और पर्याप्त पुस्तकालय और प्रयोगशाला प्रावधानों के साथ शिक्षण, प्रशिक्षण के उचित मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना;
- (17) शिक्षार्थियों, जो कक्षा की पारंपरिक व्यवस्था में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं होते, के लिए अनुदेशात्मक सामग्रियों, जिनमें फिल्में, कैसेट, टेप, वीडियो सीडी और सीखने एवं अन्य सॉफ्टवेयर शामिल हैं की तैयारी के लिए व्यवस्था करना। पाठ्यक्रम का संचालन विशेष रूप से तैयार सामग्री (स्वयं अध्ययन शिक्षण सामग्री) के माध्यम से प्रभावित होता है, जो विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, सैटेलाइट, ऑडियो/वीडियो टेप, सीडी- रोम, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब आदि के माध्यम से शिक्षार्थियों को उनके घर पर दिया जाता है;
- (18) अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालायें, विचारगोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना और उनका संचालन करना;
- (19) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित करना;
- (20) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या उच्चतर शिक्षा के अन्य स्थानों से परीक्षाओं या अध्ययन की अवधियों को (पूर्ण या अंशकालिक) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं या अध्ययन की अवधियों के समतुल्य मान्यता देना और किसी भी समय ऐसी मान्यता को वापस लेना;
- (21) शैक्षणिक प्रौद्योगिकी और संबंधित विषयों में अनुसंधान और विकास के लिए व्यवस्था करना;
- (22) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों जैसा विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे, का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां, इस शर्त के अधीन करना कि विश्वविद्यालय ऐसे सभी कर्मचारियों, शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों ही और अन्य कर्मचारी जो इसके अंतर्गत नियुक्त या लगे हुए हैं के वेतन खर्च का वहन स्वयं के कोष से करेगा और वह वेतन, पारिश्रमिक, उपकर

या मानदेय आदि के भुगतान के लिए सरकार से किसी भी अनुदान के हकदार नहीं होंगे;

- (23) राज्य सरकार और यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षण और अन्य शैक्षणिक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन, वेतनमान, वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों को निर्धारित करना और विनियमित करना।
- (24) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए दान और उपहार प्राप्त करना और संधारण करना;
- (25) राज्य सरकार के अनुमोदन से, चाहे विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर या अन्यथा, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना;
- (26) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के लिए, जैसा उपयुक्त हो आवासीय निवासन की स्थापना और रख-रखाव करना;
- (27) प्रयोगशाला, पुस्तकालय और संग्रहालय बनाना, सुसज्जित करना और उनका अनुरक्षण करना;
- (28) चल और अचल संपत्ति अर्जित, धारण और प्रबंध करना, अर्जित या निहित किसी भी चल और अचल संपत्ति को राज्य सरकार की स्वीकृति से विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ पट्टे पर देना, बेचना, अन्यथा अंतरित करना या निपटान करना और अनुबंध करना और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करना;
 - (i) परन्तु कि विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अचल संपत्ति का पट्टा, बिक्री या हस्तांतरण नहीं किया जाएगा।
 - (ii) परन्तु यह और कि जहाँ राज्य सरकार के संतुष्ट होने की स्थिति में ऐसी कोई भी संपत्ति, विश्वविद्यालय के हित में लीज पर दी जा सकती है या अन्यथा हस्तांतरित या निपटाई जा सकती है, सरकार विश्वविद्यालय को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी और विश्वविद्यालय निर्देशों का पालन करेगी।
- (29) एकरारनामा करना, उन्हें निष्पादित करना, उनमें परिवर्तन करना या उन्हें रद्द करना;
- (30) अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किये गए शुल्क और अन्य शुल्क को तय करना, मांगना और प्राप्त करना;

- (31) छात्रों और सभी प्रवर्ग के कर्मचारियों के बीच अनुशासन की व्यवस्था करना, नियंत्रण करना और उसे बनाए रखना और ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तों को, जिनके अन्तर्गत उनकी आचरण संहिताएं भी हैं, निर्दिष्ट करना;
- (32) उच्चतर विद्या या अध्ययन की किसी संस्था को ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना;
- (33) संविदा पर या अन्यथा विशेष कार्य पदाधिकारी (ओएसडी), अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान कर सकें, नियुक्त करना;
- (34) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जायें, मान्यता देना;
- (35) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्तरमान अवधारित करना और शर्तें विनिर्दिष्ट करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन और परीक्षण की कोई अन्य रीति है;
- (36) कर्मचारियों के साधारण स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबन्ध करना;
- (37) ऐसे सभी कार्य करना जो विश्वविद्यालय की ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों के, जो आवश्यक हैं, प्रयोग से आनुषंगिक हों और विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों के संप्रवर्तन में सहायक हों;
- (38) एक प्रौद्योगिकीय माध्यम जो पारंपरिक कक्षा आधारित शिक्षा के पारस्परिक संचार जो शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच होता है का जगह लेता है, को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्य करना;
- (39) संस्था, शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों (टेलीफोन, इंटरैक्टिव रेडियो परामर्श, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट सत्र, ईमेल, वेबसाइट आदि) से और डाक-पत्राचार और अध्ययन केंद्रों पर आयोजित आमने-सामने के सीमित संपर्क सत्रों जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थियों के घरों के निकट यथा संभव के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए के माध्यम को भी प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्य करना;

- (40) शिक्षण अधिगम की सभी व्यवस्थाओं, जहाँ शिक्षार्थी और शिक्षक स्थान और समय के द्वारा अलग होते हैं, एक ऐसी विधा में जो शिक्षार्थियों को उपयुक्त तरीके से शिक्षा और अनुदेश देती है, का प्रसार और वर्णन करने के लिए सभी कार्य करना;
- (41) शैक्षिक क्षेत्र में नवाचारों और सुधारों की एक विस्तृत श्रृंखला को आच्छादित करने के लिए, जो कि प्रवेश करने और बाहर निकलने, अध्ययन की गति और अध्ययन का स्थान, अध्ययन की पद्धति और पाठ्यक्रमों की पसंद और संयोजन, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम पूरा करने के संबंध में शिक्षार्थी के लिए लचीलेपन की वकालत करते हैं, आवश्यक सभी कार्य करना;
- (42) खुला अधिगम प्रणाली को बाधित करने वाले प्रतिबंधों को हटाने या कम करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करना; जिसका उद्देश्य सामाजिक या शैक्षिक असमानता का निवारण करना और पारंपरिक कॉलेजों या विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान नहीं किए गए अवसरों की पेशकश करना है और जहां शैक्षिक अवसरों को जानबूझकर नियोजित किया जाता है ताकि समाज के बड़े तबके तक शिक्षा की पहुँच आसानी से उपलब्ध हो सके;

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उप-धारा-6 (I) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह खुला विश्वविद्यालय और दूर-शिक्षा पद्धति के संवर्धन के लिए और ऐसी पद्धति में शिक्षा, मूल्यांकन और अनुसंधान के स्तरमानों के अवधारण और उन्हें बनाए रखने के लिए ऐसे उपाय करे जो वह ठीक समझे।

अपने उद्देश्यों को पूरा करने में, विश्वविद्यालय भारत में अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग के लिए प्रयास करेगा और जहाँ तक संभव हो सके, खुला अधिगम प्रणाली के लिए उनके द्वारा निर्धारित शैक्षणिक मानदंडों और मानकों का अवलोकन करेगा।

7. **विश्वविद्यालय सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला रहेगा-** कोई भी व्यक्ति लिंग, प्रजाति, वंश, वर्ग, जाति, भाषा या राजनीतिक विचार विश्वास के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की सदस्यता अथवा किसी डिग्री या पाठ्यक्रम में प्रवेश से अपवर्जित नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक या छात्र के रूप में प्रवेश पाने अथवा विश्वविद्यालय में कोई पद या नियुक्ति धारण करने या वहां स्नातक की उपाधि लेने अथवा विश्वविद्यालय के किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए धार्मिक या राजनीतिक विश्वास या सिद्धांत संबंधी कोई भी जांच अंगीकृत या उस पर अधिरोपित करे; सिवाय ऐसी स्थिति के जहां विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किसी विशेष उपकृति (benefaction) के संबंध में

ऐसी उपकृति करने वाली किसी वसीयत या अन्य लिखित द्वारा ऐसी जांच उस उपकृति की शर्त बना दी गई हो;

परंतु यह कि इस धारा की किसी भी बात से विश्वविद्यालय पर अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों, पिछड़े वर्गों आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए पद और नियुक्ति के राज्य के आरक्षण नियमों का उपबंध करने पर रोक नहीं लगेगी।

8. शिक्षण-

- (1) विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्य, विनियम द्वारा विहित पाठ्यक्रम (सिलेबस) के अनुसार संचार के किसी भी माध्यम से आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य तथा अन्य शिक्षकों द्वारा संचालित पत्राचार, पुस्तकालय प्राप्त सुविधा वाले अध्ययन केंद्रों, अंशकालीन शिक्षा, परामर्श, संपर्क कार्यक्रम, चालू प्रयोगशाला और गृह कार्य के जरिए संचालित किया जाएगा।
- (2) ऐसे शिक्षण संगठित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकार पर नियम द्वारा विहित किया जाएगा।
- (3) पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या विनियम द्वारा विहित की जाएगी।
- (4) विश्वविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के निमित्त छात्रों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ कक्षाएं चलाना या परीक्षा संचालित करना विधिसम्मत नहीं होगा।
- (5) विश्वविद्यालय विहित नियमों और विनियमों के अनुसार कला, विज्ञान, वाणिज्य अन्य विधाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा।

अध्याय-3

विश्वविद्यालय के पदाधिकारी

9. विश्वविद्यालय के पदाधिकारी- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे, यथा
 - (i) कुलाधिपति,
 - (ii) कुलपति,
 - (iii) प्रतिकुलपति,
 - (iv) विद्यापीठों के निदेशक,
 - (v) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र (CIQA) के निदेशक,
 - (vi) कुलसचिव,
 - (vii) कुलसचिव (परीक्षा),

- (viii) वित्त पदाधिकारी/ प्रबंधक,
- (ix) प्रबंधक (आई०टी०),
- (x) ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी घोषित किए जाएँ ।

10. कुलाधिपति-

- (1) झारखण्ड राज्य के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे, और अपने पद के आधार पर, विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे और उपस्थित रहने पर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे ।
- (2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, और साज-सामानों, अध्ययन केंद्रों, विश्वविद्यालय की शिक्षण गतिविधियों, संचालित परीक्षाओं अथवा विश्वविद्यालय द्वारा किए गए किसी कार्य का निरीक्षण करने का और/या उनके द्वारा निर्देशित व्यक्ति या व्यक्तियों से ऐसा निरीक्षण कराने का तथा विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी विषय की किसी रीति से जांच करने या कराने का अधिकार होगा तथा विश्वविद्यालय या अध्ययन केंद्र के पदाधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच या निरीक्षण आदि में पूरा सहयोग प्रदान करें।

परंतु यह कि कुलाधिपति हर एक मामले में निरीक्षण या जांच करने अथवा निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना कुलपति को देंगे और उन्हें विश्वविद्यालय को अपना प्रतिनिधि भेजने का हक होगा ।

- (3) (i) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम कुलपति को भेज सकेंगे और कुलपति, कुलाधिपति के विचारों की सूचना कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद् को प्रदान करेंगे ।
- (ii) कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद् यदि ऐसे निरीक्षण की जांच के परिणाम पर कोई कार्रवाई की हो या करना चाहती हो तो वह तत्संबंधी प्रतिवेदन कुलाधिपति को देगी ।
- (iii) यदि कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद् युक्तियुक्त समय के भीतर कुलाधिपति के संतुष्टि के अनुरूप कोई कार्रवाई नहीं करें तो कुलाधिपति कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद् द्वारा प्रस्तुत किसी स्पष्टीकरण या दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद कुलपति के माध्यम से ऐसा निर्देश जारी करेंगे जैसा उचित समझें तथा कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद् उस निर्देश का तुरंत अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी;

परंतु यह कि इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति यदि आवश्यक समझे तो कुलपति की प्रतिवेदन पर या अन्यथा विश्वविद्यालय के या उससे संबंधित किसी शिक्षक या पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांग सकेंगे और आरोपों पर सम्यक विचार करने के बाद ऐसा निर्देश देंगे जैसा वह उचित समझें तथा यथास्थिति, कुलपति, कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद् विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इन निदेशों का अनुपालन करेगी।

- (4) कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की ऐसी कोई कार्यवाही रद्द कर सकेंगे जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप नहीं हो या जिसका पर्याप्त औचित्य नहीं हो:

परंतु यह कि ऐसा कोई आदेश देने के पहले उनके द्वारा विश्वविद्यालय से, उनके द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, इसका कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया जाए और यदि उक्त अवधि के भीतर कोई कारण दिखाया जाए तो कोई भी निदेश निर्गत करने के पूर्व वे उस पर विचार करेंगे।

- (5) कुलाधिपति अपने द्वारा पारित कोई आदेश वापस ले या विखंडित कर सकेंगे यदि उनके विचार में ऐसी वापसी या विखंडन कानून की दृष्टि से उचित हो अथवा अभिलेख के आधार पर यह पता चले कि पूर्व में निर्गत आदेश गलत था।
- (6) सम्मानार्थ उपाधि प्रदान करने के लिए किया गया हर एक प्रस्ताव कुलाधिपति द्वारा संपुष्टि के अधीन होगा।
- (7) जहाँ इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और निकायों में व्यक्तियों को नाम निर्देशित करने की शक्ति प्रदान की गई हो वहां कुलाधिपति आवश्यक सीमा तक और ऐसी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को नामित करेंगे जिन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो।
- (8) इस धारा में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कुलाधिपति किसी भी व्यक्ति को, जिसे ठीक समझें, इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय का विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त कर सकेंगे, और जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया जायेगा वह ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो दो वर्ष से अधिक नहीं हो, और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगा जैसा कुलाधिपति के द्वारा इस सम्बन्ध में तय किया गया है।
- (9) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां निहित होंगी जो इस अधिनियम या परिनियमों के द्वारा उन्हें प्रदान की गई हो।

11. **कुलपति-**

- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी और शैक्षिक पदाधिकारी एवं कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद् का अध्यक्ष होंगे। वह विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय की बैठक में उपस्थित होने तथा बोलने का हकदार होंगे और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे:

परंतु यह कि कुलपति पहली बार मतदान नहीं करेंगे, लेकिन मत बराबर होने की दशा में उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

- (2) कुलपति विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे और परिनियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे।
- (3) कुलपति पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। उक्त अवधि समाप्त होने पर वह तीन वर्षों से अनधिक दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकेंगे।

(4) **कुलपति का चयन-**

- (i) सर्वोच्च दक्षता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता के सर्वोच्च व्यक्तियों को ही कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कुलपति पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति विख्यात शिक्षाविद होने चाहिए, जिनके पास किसी भी विश्वविद्यालयी प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो अथवा किसी भी प्रतिष्ठित शोध एवं/अथवा अकादमिक प्रशासनिक संस्था में समकक्ष पद पर 10 वर्ष का अनुभव हो। इसके अलावा यह वांछनीय होगा कि व्यक्ति को सरकार या विश्वविद्यालय स्तर पर पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव हो।

- (ii) कुलपति का चयन एक अच्छी तरह से गठित एवं पांच व्यक्तियों से मिलकर बनी चयन समिति द्वारा किया जाएगा। कुलपति पद चयन की प्रमुख अखबारों के माध्यम से प्रकाशित सार्वजनिक अधिसूचना के बाद प्राप्त आवेदनों में से, और प्रख्यात व्यक्तियों में से इस पद के लिए प्राप्त आवेदनों में से किया जायेगा। चयन समिति का गठन जैसा कि नीचे दिया गया है, किया जाएगा।

- (iii) चयन समिति के सदस्य आवश्यक रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र के या इस क्षेत्र के प्रशासन के अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे तथा वह किसी भी रूप में संबंधित विश्वविद्यालय से जुड़े हुए नहीं होंगे। पैनल तैयार करते समय चयन समिति द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता को उचित महत्त्व देते हुए देश विदेशों में उच्च शिक्षा संबंधी अध्यापन कार्य की योग्यता तथा अकादमिक या प्रशासनिक शासन

में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व दिया जाएगा। चयन समिति 3-5 नामों के एक पैनल के साथ अपनी अनुशंसा लिखित रूप में कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी। सुझाए गए नामों में से किसी को भी आपराधिक मामले में अभियुक्त नहीं होना चाहिए और उच्च अखंडता, स्वच्छ चरित्र, नैतिकता का व्यक्ति होना चाहिए ।

(5) **चयन समिति का गठन निम्नलिखित रूप से होगा-**

- (i) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य, जो शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक प्रख्यात विद्वान या पद्म पुरस्कार से विभूषित शिक्षाविद होगा जो समिति का अध्यक्ष होगा ।
 - (ii) कुलाधिपति द्वारा सदस्य के रूप में नामित राष्ट्रीय ख्याति के संस्थान या राष्ट्रीय स्तर के संगठन यथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक या प्रमुख या वैधानिक विश्वविद्यालय के कुलपति ।
 - (iii) कुलाधिपति द्वारा सदस्य के रूप में नामित झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम सेवारत कुलपति ।
 - (iv) कुलाधिपति द्वारा सदस्य के रूप में नामित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में, झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय के अलावा किसी भी राज्य के खुला विश्वविद्यालय के कुलपति ।
 - (v) राज्य सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नामित उच्च शिक्षा विभाग के सेवारत प्रधान सचिव ।
- (6) अध्यक्ष सहित चार सदस्य कोरम का गठन करेंगे ।
 - (7) चयन समिति का कार्यकलाप इस तरह से संचालित किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर, कुलाधिपति द्वारा विहित किया जाय ।
 - (8) उप-धारा (5) के तहत गठित समिति उचित समय के अंतर्गत, किसी भी तरह से 3 महीने से अधिक नहीं, उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करेगी जिन्हें वे कुलपति के रूप में नियुक्ति के योग्य समझती हैं और ऐसे चुने गए व्यक्तियों के नाम उनके अन्य ब्यौरों, यदि कोई हो, के साथ कुलाधिपति को अनुसंधित करेगी ।

परन्तु यह कि समिति ऐसे किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं करेगी, जिसे कुलपति के रूप में नियुक्त करने पर तीन साल की अवधि पूरी होने से पहले ही सत्तर साल की आयु प्राप्त करने के कारण उस कार्यालय को धारण करना बंद कर देगा।

- (9) कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति 3-5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक पैनल प्रस्तुत करेगी:

परन्तु यह कि कुलाधिपति अगर चयन समिति की अनुशंसाओं को मंजूरी नहीं देते हैं, तो वह एक नई चयन समिति का गठन कर सकते हैं और चयन समिति से नई अनुशंसा के लिए निदेशित कर सकते हैं।

- (10) राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त पदग्राही व्यक्ति द्वारा पहली बार में पद ग्रहण नहीं करने या एक वर्ष के भीतर मौत या कुलपति की इस्तीफे या इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुलपति के पद से हटाये जाने के कारण कुलपति का पद रिक्त हो जाने जैसी घटनाओं का सामना करने के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल एक वर्ष तक के लिए लागू रहेगा। एक वर्ष के अंदर कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से उक्त पैनल से अगला कुलपति नियुक्त करेंगे।

(11) **कुलपति की नियुक्ति-**

- (i) कुलाधिपति, चयन समिति द्वारा अनुशंसित 3-5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पैनल में से उप-धारा (4) (i) में उल्लिखित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के बीच से राज्य सरकार के परामर्श से, कुलपति की नियुक्ति करेंगे।

- (ii) कुलपति पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह उस कार्यालय में आगे की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को दो से अधिक अवधि के लिए कुलपति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

परन्तु आगे यह कि कुलपति के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद पर नहीं बने रहेंगे।

- (iii) कुलाधिपति, समय-समय पर, उप-धारा 4(ii) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना कुलपति के पद के कार्यकाल की अवधि जो कुल मिलाकर छह महीने से अधिक नहीं होगी, बढ़ा सकते हैं।

- (12) **कुलपति की परिलब्धियां-परिलब्धियां** जो कुलपति को दी जाएंगी और नियम एवं शर्तों जिसके अधीन वह पद धारण करेंगे, वह वही होगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ।

- (13) **कुलपति की अस्थाई अनुपस्थिति के दौरान कार्य-व्यवस्था-अल्पावधि अवकाश, बीमारी** अथवा किसी अन्य कारण से कुलपति की अस्थाई अनुपस्थिति के दौरान, प्रति कुलपति के लिए कुलपति की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करना विधि पूर्ण होगा और इस बात की सूचना कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरंत दे दी जाएगी और यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति की स्थाई अनुपस्थिति लंबी अवधि के लिए हो तो कुलाधिपति, कुलपति के पदीय कार्यों के संपादन के लिए ऐसी अन्य व्यवस्था कर सकेंगे जैसा वह उचित समझे ।
- (14) **कुलपति के अधिकार और कर्तव्य-** कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य इस प्रकार होंगे:-
- (i) विश्वविद्यालय का कार्यकारी अधिकार कुलपति में निहित होगा ।
 - (ii) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेंगे और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेंगे ।
 - (iii) बजट में धन की उपलब्धता की शर्त पर, कुलपति के पास वित्त अधिकारी/प्रबंधक की राय प्राप्त करने के बाद, वित्तीय वर्ष के दौरान उस सीमा तक जितना विहित हो, व्यय की मंजूरी देने की शक्ति होगी और इस तरह के सभी खर्चों का एक प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यकारी समिति को मुहैया कराया जाएगा ।
 - (iv) यदि कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत शक्तियां किसी दूसरे पदाधिकारी या प्राधिकार में निहित हैं, तो वह इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, जिसे वह आवश्यक समझे और उसके बाद अपने द्वारा उस मामले में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन शीघ्रातिशीघ्र ऐसे पदाधिकारी या प्राधिकार को जो साधारणतया ऐसे मामलों का निपटारा करते हैं, को उपलब्ध कराएंगे;

परंतु यह कि यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में कुलपति द्वारा ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा;

परंतु आगे यह कि कुलपति द्वारा की गई ऐसी कोई भी कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करती हो, ऐसे व्यक्ति उस तिथि से तीन महीने के भीतर जिस तिथि को उस पर कार्रवाई की जाने की सूचना दी जाती है, कुलाधिपति से अपील के चयन का अधिकार होगा और अपील की तिथि से तीन महीने के भीतर संबंधित व्यक्ति को कुलाधिपति के निर्णय से सूचित किया जाएगा ।

परन्तु आगे यह कि यदि इस मामले में कोई वित्तीय लेनदेन शामिल है, तो कुलपति ऐसे आदेश को पारित करने या ऐसा निर्णय लेने से पहले, वित्त अधिकारी / प्रबंधक की राय प्राप्त करेंगे।

- (v) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों, विनियमों या नियमों द्वारा विहित किए जायें;
- (vi) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी प्राधिकरण का विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण की शक्तियों के परे है या यह कि किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकरण को ऐसे विनिश्चय के 15 दिन के भीतर अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेंगे और यदि प्राधिकरण द्वारा अपने विनिश्चय का पूर्णतः या अंशतः पुनर्विलोकन करने से इन्कार किया जाता है या 15 दिन की उक्त अवधि के भीतर उसके द्वारा कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा:
- परन्तु यह कि संबंधित पदाधिकारी या प्राधिकार का निर्णय, पदाधिकारी या प्राधिकार या कुलाधिपति, जैसी स्थिति हो, के द्वारा उक्त निर्णय की समीक्षा की अवधि के दौरान इस उपधारा के तहत निलंबित रहेगा।
- (vii) कुलपति प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे और निर्धारित तरीके से कुलाधिपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- (viii) कुलपति के पास शक्तियाँ होंगी, -
- (क) कि विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्रों के शिक्षकों से विश्वविद्यालय की परीक्षा के संचालन के बारे में प्रतिवेदन की अपेक्षा करे, एवं
- (ख) कि ऐसी परीक्षाओं के प्रभारी अधिकारी को ऐसे निर्देश दे, जैसा वह आवश्यक समझें।
- (ix) कुलपति यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश, विनियम और नियम के प्रावधान पालन किये जा रहे हैं।
- (x) कुलपति को इस अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए परिनियमों और अध्यादेश के अधीन स्वीकृत कोटियों और वेतनमान तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों और पदाधिकारियों से भिन्न अनुसचिवीय कर्मचारियों और अन्य सेवकों की स्वीकृत संख्या के भीतर के पदों पर नियुक्ति करने की शक्ति होगी तथा

उन्हें ऐसे कर्मचारियों और सेवकों पर पूर्ण नियंत्रण और अनुशासनिक शक्तियाँ होंगी ।

इन पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी। इन पदों की नियुक्ति के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाएगा। इन पदों की नियुक्ति में रोस्टर के अनुसार राज्य सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इन सभी नियुक्तियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट के मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा ।

- (xi) कुलपति को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद्, उसकी समितियों और उप-समितियों, अकादमिक परिषद् और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों की बैठक बुलाने की शक्ति होगी और वह उन बैठकों का पदेन अध्यक्ष होंगे; परंतु वह स्वयं के अनुपलब्ध रहने पर इस उप-धारा के अधीन अपनी शक्ति विश्वविद्यालय के किसी अन्य पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेंगे ।
- (xii) कुलपति को अध्ययन केंद्रों और उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं और उसके साज-सामानों तथा विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी अन्य संस्था में जाने और उनका निरीक्षण करने की शक्ति होगी ।
- (xiii) अध्यादेश या परिनियमों में अन्यथा उपबंध के सिवाय, कुलपति पदाधिकारियों (प्रति कुलपति को छोड़कर) को और शिक्षकों को नियुक्त करेगा तथा उनके कर्तव्यों को परिभाषित करेगा ।
- (xiv) (क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय की कार्यवाहियां इस अधिनियम, परिनियमों, विनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यान्वित की जा रही हैं या नहीं और कुलपति कुलाधिपति के पास ऐसी प्रत्येक कार्यवाही का प्रतिवेदन भेजेगा जो ऐसे उपबंधों अनुरूप न हो;
- (ख) जब तक कुलपति के प्रतिवेदन पर कुलाधिपति का इस आशय का आदेश नहीं प्राप्त हो जाय कि विश्वविद्यालय की कार्यवाही इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार नहीं है, तब तक कुलपति को यह शक्ति होगी कि यह प्रतिवेदन की गई कार्यवाही को रोक दे ।
- (xv) कुलपति को विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और शिक्षक सहित विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी। (प्रतिकुलपति एवं कुलसचिव को छोड़ कर)

- (xvi) पदच्युति, सेवा से हटाने या पदच्युति की शक्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति के पास अपील की जाएगी ।

12. कुलपति का हटाया जाना-

- 1) यदि किसी समय तथा ऐसी जाँच के बाद जो आवश्यक समझी जाए, कुलाधिपति को ऐसा प्रतीत हो कि कुलपति ने -
 - i. इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन या द्वारा उन पर अधिरोपित किन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है, या
 - ii. इस रीति से काम किया है जिससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या
 - iii. विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध करने में असमर्थ रहा हो,

कुलाधिपति इस बात के होने पर भी कि कुलपति की पदावधि अभी समाप्त नहीं हुई है, उसके लिए कारण दर्शाते हुए और राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद लिखित आदेश द्वारा कुलपति से, आदेश में यथाविनिर्दिष्ट तिथि से पदत्याग करने की अपेक्षा कर सकेगा ।
- 2) उप धारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं पारित किया जाएगा जब तक कि कुलपति को विशेष आधारों को बताते हुए जिन पर ऐसी कार्रवाई करने का प्रस्ताव हो नोटिस न दी गई हो और प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दिखाने का युक्तियुक्त अवसर ना दिया गया हो ।
- 3) उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट तिथि से यह समझा जायेगा कि कुलपति ने पद त्याग कर दिया है और इस तिथि से कुलपति का पद रिक्त है ।

13. प्रतिकुलपति-

1. प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार तथा उस विश्वविद्यालय के कुलपति के परामर्श से उसी तरीके से की जाएगी जैसा कुलपति की नियुक्ति के लिए विहित है ।
2. प्रतिकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा। वह ऐसी शर्तों पर, जो कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से अवधारित की जाए 3 वर्षों से अनधिक कालावधि के लिए पद धारण करेंगे ।
3. प्रतिकुलपति पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और वह उस कार्यालय में आगे की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे :

परंतु यह कि किसी व्यक्ति को दो से अधिक अवधि के लिए प्रतिकुलपति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

परंतु आगे यह कि प्रतिकुलपति के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद पर बने नहीं रहेगा ।

4. इस अधिनियम, के उपबंधों के अधीन, प्रति कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जायें, अथवा जो कुलपति द्वारा समय-समय पर, उन्हें प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएँ ।

14. विद्यापीठों के निदेशक-

- (1) प्रत्येक विद्यापीठ के प्रधान, विद्यापीठ के निदेशक होंगे और प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसी परिलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ ।

- (2) विद्यापीठ के प्रत्येक निदेशक को कार्यकारी परिषद् के द्वारा निम्न अनुशंसाओं पर नियुक्त किया जायेगा : -

- i. कुलपति की अनुशंसा पर, यदि उम्मीदवार पहले से ही विश्वविद्यालय का शिक्षक है;

परन्तु यह कि किसी एक विद्यापीठ के निदेशक को कुलपति की अनुशंसा पर कार्यकारी परिषद् द्वारा विद्यापीठ के आचार्यों में से (रोटेशन द्वारा) नियुक्त किया जाएगा, और अगर इस मामले में विश्वविद्यालय में केवल एक ही आचार्य है या कोई आचार्य उपलब्ध / पात्र नहीं है तो विश्वविद्यालय में सह आचार्य के स्तर पर सबसे वरिष्ठ शिक्षक को रोटेशन द्वारा निदेशक का प्रभार दिया जाएगा; और

- ii. इस उद्देश्य के लिए गठित एक चयन समिति की अनुशंसा पर, प्रत्येक मामले में परिनियमों द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार ।

- (3) एक निदेशक तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

- (4) प्रत्येक निदेशक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा;

परंतु यह कि निदेशकों में से कोई एक शिक्षकों के प्रशासनिक मामलों का प्रभारी होगा ।

- (5) निदेशक की सेवा की परिलब्धियाँ और अन्य शर्तें परिनियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी;

परन्तु यह कि कोई निदेशक पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा ।

(6) निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ ।

15. **आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र (CIQA) के निदेशक-आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र (CIQA) की अध्यक्षता एक पूर्णकालिक निदेशक द्वारा की जाएगी, जो कि वरिष्ठ शिक्षाविद होने के नाते आचार्य के पद पर कार्यरत शिक्षाकर्मी होंगे, ऐसे निदेशक की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसे परिलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ ।**

16. **कुलसचिव-**

(1) कुलसचिव पूर्णकालिक पदाधिकारी होंगे और उसकी नियुक्ति ऐसी रीति से तथा ऐसे शर्तों एवं बंधनों पर की जाएगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ।

(2) निम्न उल्लिखित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कुलसचिव की नियुक्ति (सीधी भर्ती) की जाएगी:-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय में कम से कम 55% अंकों या इसके समकक्ष यूजीसी के सात बिंदुओं में 'बी' ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री ।

(ii) सहायक प्रोफेसर के रूप में रु० 7000 के ए.जी.पी के साथ कम से कम 15 वर्षों का अनुभव प्राप्त या उससे अधिक अथवा रु० 8000 के ए.जी.पी के साथ एसोसिएट प्रोफेसर के रूप या उससे के साथ में शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासनिक पदों पर 8 वर्षों की सेवा का अनुभव या उससे अधिक ।

या

(iii) शोध संस्थानों में तुलनीय अनुभव और/या अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्य अनुभव,

या

(iv) 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव, जिनमें 8 वर्षों का उप कुलसचिव या अन्य समतुल्य पदों का अनुभव ।

(3) कुलसचिव को भुगतान की जाने वाली परिलब्धियाँ और उनकी सेवा के नियम और शर्तें वही होंगी जैसे कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जायेगा लेकिन उनकी परिलब्धियाँ किसी भी तरफ से विश्वविद्यालय के आचार्य से कम नहीं होगी और वह-

- (i) कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद् के सचिव के रूप में काम करेंगे;
 - (ii) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा विनियोग का प्रबंधन करेंगे;
 - (iii) विश्वविद्यालय की ओर से की गई सभी संविदाओं पर हस्ताक्षर करेंगे;
 - (iv) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे जो परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों तथा नियमों द्वारा विहित किए जाए या जो कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद् द्वारा समय-समय पर प्रदत्त तथा अधिरोपित किए जाए;
 - (v) यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए धनराशि दी गई है या उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा आवंटित की गई है;
 - (vi) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध सभी मुकदमे या अन्य कानूनी कार्यवाही कुलसचिव द्वारा या उसके खिलाफ, दायर की जाएगी, और
 - (vii) सामान्य रूप से कुलपति को ऐसी सहायता प्रदान करेंगे जिसका वह (कुलपति) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षा करें।
- (4) अगर कुलसचिव का स्थान इस्तीफे, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या किसी अन्य कारण से अचानक रिक्त हो जाता है, और जब तक कि नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है कुलसचिव के कार्यों को सम्पादित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कुलाधिपति अधिकृत होंगे।
- (5) इस अधिनियम अथवा परिनियमों में किसी बात के अंतरविष्ट होते हुए भी, कुलाधिपति यदि उचित समझे, तो संविदा के आधार पर एक कार्यरत या सेवानिवृत्त अनुभवी व्यक्ति को जिसे राज्य या केंद्र सरकार के एक खुला/मुक्त विश्वविद्यालय में कुलसचिव के रूप में कार्य करने का कम से कम 15 वर्षों का अनुभव हो की नियुक्ति, स्थापित शर्तों एवं बंधनों पर कार्य करने के लिए नियुक्त करेंगे:

परन्तु कि उपधारा (5) के तहत की गई व्यवस्था दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी। उक्त अवधि की समाप्ति पर वह एक वर्ष से अधिक नहीं होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकते हैं।

परन्तु आगे कि उपधारा (5) के तहत कुलसचिव के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इस तरह पद पर नहीं रह सकेंगे।

17. **कुलसचिव (परीक्षा)-**

- (1) कुलसचिव (परीक्षा) की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा उसी तरीके से की जाएगी जैसा कुलसचिव के लिए निर्धारित है ।
- (2) कुलसचिव (परीक्षा) विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक पदाधिकारी होंगे जो विश्वविद्यालय की परीक्षा के संचालन और संबंधित मामले का प्रभारी होंगे तथा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जैसा कि परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों तथा नियमों द्वारा विहित किए जाए अथवा जैसा कि समय-समय पर कुलपति द्वारा उससे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किए जाएँ ।
- (3) कुलसचिव (परीक्षा) प्रश्न पत्र तैयार करने, परीक्षा के लिए समय निर्धारित करने, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन आदि, परिणामों के प्रकाशन, प्रमाण पत्र जारी करने और परीक्षाओं से संबंधित ऐसे अन्य सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे ।

18. **वित्त पदाधिकारी/प्रबंधक-**

- (1) वित्त पदाधिकारी/प्रबंधक विश्वविद्यालय के एक पूर्णकालिक अधिकारी होंगे और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।
- (2) वित्त पदाधिकारी की परिलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जाएंगी ।
- (3) वित्त पदाधिकारी/ प्रबंधक वित्त समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे और इस तरह की शक्तियों का प्रयोग और इस तरह के कर्तव्यों का पालन करेंगे, जैसा कि परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों और नियमों द्वारा निर्धारित किया जाय, या समय-समय पर उस पर कार्यकारी परिषद्, कुलपति द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किया जाय ।
- (4) जब वित्त पदाधिकारी का कार्यालय रिक्त हो या जब वित्त पदाधिकारी खराब स्वास्थ्य, अनुपस्थिति या अन्य किसी कारण से वित्त अधिकारी के रूप में कार्य निष्पादित करने में असमर्थ हों, तो उनके कार्यों को ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा, जिसे कुलपति, कुलाधिपति की मंजूरी के साथ इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करें ।
- (5) कुलपति और कार्यकारी परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वित्त पदाधिकारी -
 - (i) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में से किसी की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय की संपत्ति और निवेश को, न्यास और अचल संपत्तियों सहित, धारण करेंगे और उसका प्रबन्धन करेंगे;
 - (ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्त समिति द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय नहीं किया जाए और सभी धन

का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाए जिसके लिए वह मंजूर या आवंटित किया गया था;

- (iii) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार किए जाने के लिए और वित्त समिति द्वारा उन पर विचार किए जाने के पश्चात् उनको कार्यकारी परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे;
 - (iv) नकद और बैंकों में संधारित राशि और निवेशों पर बराबर नजर रखेंगे;
 - (v) राजस्व के संग्रह की प्रगति पर नजर रखेंगे और संग्रह करने के लिए काम में लाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देंगे;
 - (vi) यह सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय की संपत्तियों के पंजी का रखरखाव ठीक से किया जा रहा है तथा विश्वविद्यालय कार्यालय तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले सभी अन्य कार्यालयों के, जिनमें क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, और अन्य संस्थाएं सम्मिलित हैं, में उपस्करों तथा अन्य सामग्री के भंडार की जांच की जा रही है;
 - (vii) किसी अनाधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितताओं की ओर कुलपति का ध्यान आकर्षित करेंगे और व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई का सुझाव देंगे;
 - (viii) विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय से जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और अन्य संस्थाएं हैं, ऐसी जानकारी या प्रतिवेदन मांगेंगे, जो वह अपने कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक समझें।
- (6) वित्त अधिकारी की या कार्यकारी परिषद् द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों की कोई रसीद, विश्वविद्यालय को धन की अदायगी के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी।

19. प्रबंधक (आई०टी०)-

- (1) प्रबंधक (आई०टी०) विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा और कुलपति द्वारा कुलाधिपति की मंजूरी के साथ नियुक्त किया जाएगा।
- (2) प्रबंधक (आई०टी०) की सेवा की परिलब्धियाँ और अन्य शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जाएंगी।
- (3) प्रबंधक (आई०टी०) कंप्यूटर प्रभाग के प्रभारी के रूप में कार्य करेगा, इस तरह की शक्तियों का प्रयोग और इस तरह के कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों और नियमों द्वारा विहित किया जाय, या समय-समय पर उस पर कार्यकारी परिषद्, कुलपति या कुलसचिव द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किया जाय।

अध्याय-4

विश्वविद्यालय के प्राधिकार

20. **विश्वविद्यालय के प्राधिकार**-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, यथा-
- i. कार्यकारी परिषद्;
 - ii. अकादमिक परिषद्;
 - iii. योजना बोर्ड;
 - iv. अध्ययन के विद्यापीठ;
 - v. परीक्षा बोर्ड;
 - vi. वित्त समिति; और
 - vii. ऐसे अन्य प्राधिकार जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये जा सकें

21. **कार्यकारी परिषद्-**

- (1) कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति रहेंगे:-

पदेन सदस्य

- (i) कुलपति,
- (ii) प्रति कुलपति,
- (iii) निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड

अन्य सदस्य

- (iv) चक्रानुक्रम के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए नीचे दी गई सूची में से कुलाधिपति द्वारा नामित दो कुलपति: - (वर्णमाला क्रम में विश्वविद्यालय का नाम)
- (क) बाबा बैद्य नाथ धाम संस्कृत विश्वविद्यालय, देवघर
 - (ख) बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद।
 - (ग) डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची।
 - (घ) जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर।
 - (ङ) झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची।

- (च) झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची ।
- (छ) कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा ।
- (ज) नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू ।
- (झ) राँची विश्वविद्यालय, राँची ।
- (ञ) सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका ।
- (ट) विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग
- (v) विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा यथाविहित अध्ययन विद्यापीठों के दो निदेशक चक्रानुक्रम से नामित होने की तिथि से 1 वर्ष की कालावधि के लिए ।
- (vi) विश्वविद्यालय के अध्ययन के विद्यापीठों से भिन्न आचार्यों तथा सह-आचार्यों के बीच से दो व्यक्ति और दो सहायक आचार्य जिन्हें कम-से-कम 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्राप्त हो, कुलाधिपति द्वारा नामित किए जाएंगे ।
- (vii) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति, जो अपनी विद्वता तथा शिक्षा में अभिरुचि के लिए विख्यात हो ।
- (viii) यदि उपर्युक्त मद (i) से (vii) तक के सदस्यों में से एक भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं हो तो कुलाधिपति अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के ऐसे किसी व्यक्ति को 3 वर्षों से अनधिक कालावधि के लिए कार्यकारी परिषद् के सदस्य के रूप में नाम निर्देशित कर सकेंगे, जो उनकी राय में, शिक्षा में अभिरुचि रखता हो, किंतु यदि 3 वर्षों की उक्त कालावधि के दौरान अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का कोई व्यक्ति मद (i) से (vii) के किसी मद के अधीन सदस्य हो जाए तो इसके अधीन नामित व्यक्ति अपने आप तात्कालिक प्रभाव से, कार्यकारी परिषद् का सदस्य नहीं रह जाएगा ।

परंतु यह कि जब तक मद (v) से (vi) तक में विनिर्दिष्ट स्थानों को भरने के लिए नियुक्तियां नहीं की जाती, कुलाधिपति उन स्थानों पर कार्यकारी परिषद् के सदस्यों के रूप में राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से ऐसे शिक्षकों का नाम निर्देशित करेगा जो आचार्य की कोटि से न्यून कोटि के न हों ।

(2) **कार्यकारी परिषद् की शक्तियाँ और कर्तव्य-**

कार्यकारी परिषद्-

- (i) विश्वविद्यालय, उसके क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों और विश्वविद्यालय में किए गए संपत्ति के अन्य हस्तांतरणों के साथ संपत्ति और निधियों (विन्यास, वसीयत तथा दान सहित) का धारण, नियंत्रित और प्रबंधित करेगी;
- (ii) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर का रूप विनियमित करेगी, उसकी अभिरक्षा का प्रबंधन करेगी तथा उसके उपयोग को विनियमित करेगी;

- (iii) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कुलपति तथा विद्या- परिषद् को प्रदत्त शक्तियों के अध्याधीन इस अधिनियम, परिनियमों और विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित सभी बातों का विनियमन तथा विनिर्धारण करेगी;
 - (iv) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के ज़िम्मे में रखी गई किसी निधि का प्रबंधन करेगी;
 - (v) विश्वविद्यालय अथवा अध्ययन केंद्र के फायदे के लिए किसी चल या अचल संपत्ति के किए गए अन्तरण का विश्वविद्यालय की ओर से स्वीकार करने के लिए सशक्त होगी;
 - (vi) परिनियम तथा अध्यादेश बनाएगी और उन्हें संशोधित तथा निरसित करेगी;
 - (vii) नियमों पर विचार करेगी और उन्हें संशोधित या निरसित करेगी;
 - (viii) वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, बजट प्राक्कलन तथा ऐसे लेखाओं की अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद संकल्प पारित करेगी;
 - (ix) अध्ययन केंद्रों में निरीक्षण तथा अधीक्षण के प्रयोजनार्थ शक्ति का प्रयोग करेगी, जिसमें अध्ययन केंद्रों की मान्यता एवं उनकी मान्यता वापस लेना भी शामिल है;
 - (x) ऐसी उपाधियां, पदवियां, डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षिक विशेषताएं संस्थित और प्रदत्त करेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए; तथा
 - (xi) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो अध्यादेश या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किया जाए ।
- (3) **कार्यकारी परिषद् के सदस्यों की पदावधि-**

इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कार्यकारी परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि यथास्थिति, उनके निर्वाचन या नाम-निर्देशन की तिथि से तीन वर्षों की होगी और इसके अंतर्गत ऐसी आगे और भी अवधि होगी जो उक्त तीन वर्षों की समाप्ति तथा ठीक बाद के निर्वाचन या नामनिर्देशन, जो किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने का निर्वाचन या नामनिर्देशन न हो, की तिथि के बीच बीते:

परंतु यह कि किसी निकाय के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित अथवा नामनिर्देशित सदस्य के बारे में यह समझा जायेगा कि उसने उस तिथि से अपना पद रिक्त कर दिया है जिस तिथि से वह उस निकाय का सदस्य नहीं रह गया हो जिसने उसे निर्वाचित अथवा नामनिर्देशित किया हो ।

22. अकादमिक परिषद्-

(1) अकादमिक परिषद् में शामिल होंगे-

पदेन सदस्य

- (i) कुलपति;
- (ii) प्रति कुलपति;
- (iii) निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड;
- (iv) अध्ययन विद्यापीठ के सभी निदेशक

अन्य सदस्य

- (v) निदेशक, प्राध्यापक और समन्वयक के अलावा, जो परिनियमों द्वारा विहित रीति से, विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा इस तरह से चुने जाएंगे कि प्रत्येक विद्यापीठ को प्रतिनिधित्व मिल सके;

- (vi) विश्वविद्यालय सेवा के बाहर के दो से अनधिक विशेषज्ञ जो अकादमिक परिषद् द्वारा आवश्यकतानुसार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सहयोजित किये जायेंगे :

परंतु यह कि जब तक खंड (iv) और (v) में विनिर्दिष्ट स्थान भरने के लिए नियुक्तियां न कर ली जाएं, तब तक कुलाधिपति राज्यों के अन्य विश्वविद्यालयों से आचार्य के स्तर से अन्यून स्तर के उतनी संख्या में शिक्षकों का नाम निर्देशित करेगा जितने कि वह उचित समझें ।

- (2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि क्रमशः-उनके निर्वाचन अथवा नामित होने की तिथि से 3 वर्षों की होगी और उसके अंतर्गत वह अवधि भी होगी जो 3 वर्षों की उक्त अवधि समाप्त होने और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए होने वाले निर्वाचन या नामनिर्देशन से भिन्न, यथास्थिति, ठीक अगले निर्वाचन या नामनिर्देशन की तिथि के बीच बीते:

परंतु यह कि निर्वाचित अथवा नामनिर्देशित वैसे किसी सदस्य पद को उस तिथि से रिक्त समझा जायेगा जिस तिथि को वह, उस से निर्वाचित और नाम निर्देशित करने वाले निकाय का, सदस्य नहीं रह जाए ।

- (3) अकादमिक परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य-अकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय का मुख्य शैक्षिक एवं योजना निकाय होगी और वह-

- (i) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कुलपति तथा कार्यकारी परिषद् को प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस अधिनियम, तथा परिनियम के अनुसार, विश्वविद्यालय से संबंधित सभी शैक्षिक एवं योजना संबंधी बातों को विनिर्धारित एवं विनियमित करेगी;
- (ii) विश्वविद्यालय में संचार के किसी साधन, पत्राचार पाठ्यक्रम तथा संपर्क कार्यक्रम के जरिए शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए और शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी होगी तथा उसे उनके अधीक्षण तथा नियंत्रण की शक्तियां होंगी;
- (iii) विश्वविद्यालय, उसके पाठ्यक्रम, नई शिक्षा पद्धति सहित परीक्षा तथा मूल्यांकन के विकास तथा उन्नयन और समान संस्थाओं और अन्य विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के साथ परामर्श एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए योजना तथा कार्यक्रम तैयार करेगी और उसे अंतिम रूप देगी;
- (iv) परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति से विद्यापीठ तथा अध्ययन केंद्रों में शिक्षण के संचालन पर अधीक्षण तथा नियंत्रण रखेगी;
- (v) परीक्षा बोर्ड पर सामान्य नियंत्रण रखने तथा विश्वविद्यालय परीक्षा के परीक्षाफल को पुनरीक्षण करने की शक्ति होगी; और
- (vi) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जैसा परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जाएँ ।

23. योजना बोर्ड-

- (1) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगी और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में उपदर्शित आधारों पर, विश्वविद्यालय के विकास की निगरानी करने के लिए भी उत्तरदायी होगी ।
- (2) योजना बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - (i) कुलपति
 - (ii) प्रतिकुलपति
 - (iii) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारियों के बीच से कुलपति द्वारा नामित चार व्यक्ति;

- (iv) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से इतर कुलाधिपति द्वारा नामित पांच व्यक्ति, जो प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक का प्रतिनिधित्व करता हो:
- (क) व्यावसायिक / तकनीकी शिक्षा;
 (ख) मीडिया / संचार;
 (ग) मानव शक्ति नियोजन;
 (घ) कृषि / ग्रामीण विकास और संबद्ध गतिविधियाँ; और
 (ङ) महिला अध्ययन
- (v) पाँच व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हैं, जिनको कार्यकारी परिषद् द्वारा विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों में से प्रत्येक में से एक के लिए उनकी विशेषज्ञता के लिए नामित किया जाता है:
- (क) प्रबंधन;
 (ख) विद्वत वृत्ति;
 (ग) शिक्षा;
 (घ) दूरस्थ शिक्षा; तथा
 (ङ) वाणिज्य और उद्योग
- (vi) कुलसचिव (परीक्षा) सदस्य होंगे - (पदेन)
- (vii) कुलसचिव योजना बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे ।

24. अध्ययन के विद्यापीठ-

- (1) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (7) के प्रावधानों के अधीन अध्ययन विद्यापीठ इतनी संख्या में होंगे जितनी विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे।
- (2) अध्ययन विद्यापीठों का गठन और अन्य शक्तियां और ऐसे कृत्य होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ ।

25. परीक्षा बोर्ड-

- (1) विनियमों के उपबंधों के अधीन परीक्षा बोर्ड, परीक्षाओं के संचालन के संबंध में सलाह देगा। इसमें कुलपति अध्यक्ष के रूप में और विद्यापीठों के निदेशक सदस्य के रूप में और कुलसचिव (परीक्षा) सचिव होंगे ।
- (2) परीक्षा बोर्ड, कुलपति को परीक्षा-संचालन तथा परीक्षकों की नियुक्ति, प्रश्न पत्रों के चयन एवं अनुसमीन, परीक्षा-फल तैयार करना, उसका अनुसमीन तथा प्रकाशन, अकादमिक परिषद् के पास परीक्षा-फल भेजने तथा सामान्यतः छात्रों की उपलब्धियों के सही मूल्यांकन

की प्रक्रिया में सुधार की पद्यतियों को विनियमित करने के बारे में सलाह देगी तथा कुलपति इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने में सक्षम होंगे:

परंतु यह कि कुलपति प्रश्न पत्र चयनकर्ताओं तथा परीक्षकों की नियुक्ति परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे गए नामों की सूची से करेंगे ।

26. वित्त समिति-

- (1) वित्त समिति में अध्यक्ष के रूप में कुलपति, प्रति कुलपति, राज्य सरकार द्वारा नामित संयुक्त सचिव से या इससे अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी, विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी एवं अन्य 3 ऐसे सदस्य जो कार्यकारी परिषद् के सदस्य न हो, जिनका निर्वाचन परिनियमों द्वारा विहित रीति से विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा और उनके बीच से किया जाए, निहित होंगे :

परंतु यह कि जब तक कि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती, कुलाधिपति राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के एक शिक्षक और दो वित्त पदाधिकारियों को वित्त समिति के सदस्य के रूप में नामित करेंगे। नामित किए जाने वाले शिक्षक को आचार्य के पद से अन्यून नहीं होना चाहिए।

- (2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि उनके निर्वाचन की तिथि से 3 वर्षों की होगी तथा उसमें ऐसी अतिरिक्त अवधि भी सम्मिलित होगी जो उक्त 3 वर्षों की अवधि की समाप्ति और किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन न होने के कारण आगामी उतरवर्ती निर्वाचन की तिथि के बीच आते हों ।

(3) वित्त समिति-

- (i) विश्वविद्यालय को उसके वित्त पर प्रभाव डालने वाले किसी प्रश्न पर सलाह देगी;
- (ii) विश्वविद्यालय के विद्यापीठों और उसके द्वारा मान्यता प्राप्त अध्ययन केंद्रों के प्राक्कलन सहित विश्वविद्यालय के आय और व्यय का वार्षिक प्राक्कलन तैयार करेगी;
- (iii) को परिनियमों केअध्यधीन,अध्ययन केंद्रों के प्राक्कलनों की संवीक्षा करने की शक्ति होगी;
- (iv) को परिनियमों के अध्यधीन नए खर्च के ऐसे प्रत्येक मद की संवीक्षा करने की शक्ति होगी, जिसका उपबंध विश्वविद्यालय के बजट प्राक्कलनों में नहीं किया गया हो;

- (v) विश्वविद्यालय के आय और व्यय के लेखाओं के रखरखाव से संबंधित परिनियमों के सख्त अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगी; तथा
- (vi) वित्तीय प्रकृति के ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करेगी, जो परिनियमों द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए या कार्यकारी परिषद् द्वारा उसे सौंपा जाए।
27. **विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकार-** विश्वविद्यालय के प्राधिकार के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित प्राधिकारों का गठन और उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।
28. **परीक्षा का आयोजन-**
- 28.1 विश्वविद्यालय की परीक्षा ऐसी तारीखों से संचालित की जाएगी जैसा कि अकादमिक परिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमोदित शैक्षिक कैलेंडर में विहित किया जाए।
- 28.2 परीक्षाफल संबद्ध परीक्षा पूरी होने के 60 दिनों के भीतर प्रकाशित किया जाएगा, इस अवधि को अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से 60 दिनों के बाद भी बढ़ाया जा सकेगा।

अध्याय-5

परिनियम, विनियम अध्यादेश तथा नियम

29. **परिनियम-** इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, यथा-
- (1) कुलपति की नियुक्ति की रीति, उसकी नियुक्ति की अवधि, परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें तथा शक्तियां और कृत्य, जिनका उनके द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा;
 - (2) प्रतिकुलपति की नियुक्ति की रीति, परिलब्धियां और उनकी सेवा की शर्तें तथा शक्तियां और कृत्य जिनका उनके द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा;
 - (3) निदेशकों, कुलसचिवों, वित्त पदाधिकारी/प्रबंधक, प्रबंधक (आई०टी०) और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, परिलब्धियां और उनकी सेवा की शर्तें तथा शक्तियां और कृत्य जिनका उक्त में से प्रत्येक के द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा;
 - (4) शिक्षकों और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, उनकी योग्यताएं, आचार संहिता तथा सेवा की अन्य शर्तें, सेवा समाप्ति और अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई के तरीके सहित;
 - (5) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा की वरिष्ठता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत;

- (6) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन और किसी बीमा योजना की स्थापना;
- (7) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के गठन की प्रक्रिया, ऐसे प्राधिकरणों के सदस्यों की पदावधि, प्राधिकरण की बैठक के लिए प्रक्रिया और उनके बैठक के कार्य संपादन के लिए प्रक्रिया, और शक्तियां तथा कृत्य जिनका प्रयोग और पालन ऐसे प्राधिकरणों द्वारा किया जा सकेगा;
- (8) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए पदों की संख्या, योग्यता ग्रेड, वेतन, आरक्षण और विचार के बाद नए पदों का निर्माण, जैसा भी मामला हो, अन्य पदों के सृजन के मामले में अकादमिक परिषद् और कार्यकारी परिषद् की सिफारिशें, और विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के पद के मामले में कार्यकारी परिषद् की अनुशंसा;
- (9) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण की कार्रवाई के विरुद्ध विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा किसी अपील या पुनर्विलोकन के लिए किसी आवेदन के सम्बन्ध में प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत वह समय है, जिसके भीतर ऐसी अपील या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जाएगा;
- (10) विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों के बीच विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;
- (11) ट्रस्ट, वसीयत, दान और बंदोबस्ती की स्वीकृति और प्रबंधन;
- (12) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, छात्र-सहायतावृत्ति, पदक तथा पुरस्कार संस्थित करना;
- (13) उपाधि प्राधिकृत करने और मानद डिग्री प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन;
- (14) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान या विशेष अध्ययन केंद्रों और स्नातकोत्तर केंद्रों को संस्थित एवं रख रखाव करना;
- (15) शैक्षिक संस्थानों को मान्यता और क्षेत्रीय केंद्रों, अध्ययन केंद्रों की स्थापना तथा मान्यता वापस लेना;
- (16) अध्ययन के विद्यापीठों का गठन एवं उनके संविधान, शक्तियों और कार्यों, रख रखाव और प्रबंधन;
- (17) स्नातकों का पंजीकरण और पंजीकृत स्नातकों की सूची का रख रखाव; तथा

- (18) सभी अन्य विषय जो अधिनियम के अधीन परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जाएँ ।

30. **परिनियम किस प्रकार बनाया जाएगा-**

- (1) कार्यकारी परिषद् या तो स्वप्रेरणा से या अकादमिक परिषद् द्वारा निवेदन करने पर परिनियम बना सकेगी, उसमें संशोधन कर सकेगी या उसे निरस्त कर सकेगी
- परंतु यह कि कार्यकारी परिषद् ऐसा कोई परिनियम जिससे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की हैसियत, शक्ति और गठन पर प्रभाव पड़ सकता हो तब तक नहीं बनाएगी जब तक कि प्राधिकार को वास्तविक परिवर्तनों के संबंध में लिखित राय प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो तथा कार्यकारी परिषद् को लिखित रूप में अभिव्यक्त ऐसी राय पर विचार करना होगा;
- (2) यदि किसी परिनियम का प्रारूप या इसके किसी भाग को अकादमिक परिषद् द्वारा कार्यकारी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत कर देने के पश्चात उसे अकादमिक परिषद् के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया जाए और अकादमिक परिषद् पुनर्विचार करने के पश्चात कार्यकारी परिषद् द्वारा सुझाए गए संशोधन से सहमत न हो तो, कार्यकारी परिषद् के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि यह परिनियम या इसके किसी भाग को उस रूप में पारित करें, जो वह समुचित समझे तथा उप-धारा (3) और उप-धारा (4) में अंतरविष्ट उपबंध के अधीन कार्यकारी परिषद् का विनिश्चय अंतिम होगा ।
- (3) जहाँ किसी परिनियम का प्रारूप कार्यकारी परिषद् द्वारा पारित किया गया है, तो उसे कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा, जिनके द्वारा झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की सलाह प्राप्त करने के बाद यह घोषणा किया जायेगा कि वह परिनियम को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के मंजूरी देते हैं या रोक रखते हैं। चूँकि राज्य सरकार द्वारा बीजधन को छोड़कर कोई आर्थिक सहायता नहीं होगी, अतः उच्च शिक्षा विभाग अपने स्तर पर निर्णय ले सकता है ।
- (4) कार्यकारी परिषद् द्वारा पारित कोई परिनियम तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि कुलाधिपति द्वारा उसकी अनुमति नहीं दी गई है ।

31. **अध्यादेश-**

- (1) कार्यकारी परिषद् इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंध के अधीन निम्नलिखित सभी या किसी विषय का उपबंध करने के लिए अध्यादेश बना सकेगी:-
- (i) छात्रों का प्रवेश, पाठ्यक्रम और उसके लिए शुल्क, उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण पत्रों और अन्य पाठ्यक्रमों से संबंधित अर्हताएं, अध्येतावृत्तियों, पारितोषकों और वैसी ही अन्य बातों की मंजूरी के लिए शर्तें;

- (ii) परीक्षाओं का संचालन जिनके अन्तर्गत परीक्षकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें और विद्यार्थियों में सामान्य अनुशासन;
 - (iii) परीक्षा शुल्क एवं परीक्षकों, मॉडरेटर्स एवं अन्य दूसरे कर्मों जो परीक्षा कार्य के लिए नियुक्त किये जाएँ, को दी जानेवाली परिलब्धियां, यात्रा और अन्य भत्ते का निर्धारण;
 - (iv) शिक्षकों, पाठ लेखकों, मूल्यांकनकर्ताओं और संगठन के लिए नियुक्त अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों और उन्मुखीकरण पाठ्यक्रमों, परामर्श कक्षाओं, कार्यशाला, सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों का संचालन के लिए भुगतान;
 - (v) अतिथि आचार्य, प्रतिष्ठित आचार्य, सलाहकारों, फेलो, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों के लिए पारिश्रमिक की दरें;
 - (vi) झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 का सम्यक ध्यान रखते हुए छात्रों के आचरण और अनुशासन और अनुशासन भंग करने या कदाचार के लिए उनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई;
 - (vii) परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं का आयोजन और जिस तरीके से परीक्षार्थियों का मूल्यांकन परीक्षकों द्वारा किया जाएगा;
 - (viii) क्षेत्रीय केंद्र, अध्ययन केंद्र और मान्यता प्राप्त संस्थान का निरीक्षण।
 - (ix) ऐसे अन्य सभी विषय जिनका उपबंध इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा किया जाएगा या किया जा सकेगा;
- (2) उप-धारा (1) के तहत कार्यकारी परिषद द्वारा बनाया गया अध्यादेश यथाशीघ्र कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा जिनके द्वारा झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की सलाह प्राप्त करने के बाद यह घोषणा किया जायेगा कि वह अध्यादेश को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के मंजूरी देते हैं या रोक रखते हैं। चूंकि राज्य सरकार द्वारा बीजधन को छोड़कर कोई आर्थिक सहायता नहीं होगी, अतः उच्च शिक्षा विभाग अपने स्तर पर निर्णय ले सकता है।
 - (3) कोई अध्यादेश तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि कुलाधिपति द्वारा उसकी अनुमति नहीं दी गई है।

32. विनियम, कैसे बनाया जाए-

- (1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंध के अधीन, निम्नलिखित सभी या किसी विषय का उपबंध करने के लिए विनियम बनाए जा सकेंगे :-

- (i) विश्वविद्यालय की सभी डिग्री और डिप्लोमा के लिए विहित किया जाने वाला पाठ्यक्रम;
 - (ii) ऐसी शर्त जिसके अधीन छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में दाखिल किया जाएगा और वह ऐसी डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र के पात्र होंगे;
 - (iii) विद्यापीठ में कार्यक्रमों का बनाया जाना;
 - (iv) प्रश्न चयन कर्ता और परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें एवं ढंग और उनके कर्तव्य तथा परीक्षाओं का संचालन;
 - (v) अध्ययन केंद्र में रखे जाने वाले पाठ्यक्रम का स्तर; और
 - (vi) ऐसे सभी विषय जिनका उपबंध इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमावली द्वारा किया जाएगा या किया जा सकेगा ।
- (2) (i) उप धारा (1) के अधीन अकादमिक परिषद् द्वारा बनाया गया कोई विनियम यथासमय शीघ्र कार्यकारी परिषद् के पास विचार एवं अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। यदि कार्यकारी परिषद् इसमें कोई संशोधन करना चाहे, तो वह अकादमिक परिषद् की राय प्राप्त कर उस पर विचार करेगी;
 - (ii) कोई विनियम/परिनियम/अध्यादेश उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को कुलाधिपति द्वारा इसे संशोधन के साथ या उसके बिना, उच्च शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार की सलाह लेने के बाद अनुमोदित किया जाए अथवा ऐसी अन्य तिथि से प्रभावी होगा जो कार्यकारी परिषद् तय करें ।

33. नियम-

- (1) इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए परिनियमों के अधीन गठित विश्वविद्यालय के प्राधिकार और बोर्ड निम्नलिखित विषयों के लिए इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों से संगत नियमावली बना सकेंगे:-
 - (i) इसकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए सदस्यों की अपेक्षित संख्या निर्धारित करना;
 - (ii) ऐसे प्राधिकारों तथा बोर्डों के अधीनस्थ समितियों द्वारा अपनी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए सदस्यों की अपेक्षित संख्या निर्धारित करना;
 - (iii) ऐसे सभी विषयों का उपबंध करना जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, या विनियमावली, या नियमावली द्वारा विकसित किया जाए; तथा

- (iv) केवल ऐसे प्राधिकारों, समितियों तथा बोर्डों से संबद्ध अन्य सभी विषयों का उपबंध करना जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा कोई उपबंध नहीं किया गया हो ।
- (v) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकार ऐसे प्राधिकार के सदस्यों की बैठकों की तिथि तथा ऐसी बैठकों में विचारणीय विषयों के संबंध में नोटिस देने और बैठकों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने के लिए नियमावली बना सकेगी।
- (vi) उप-धारा (1) तथा (2) के अधीन बनाई गई नियमावली कार्यकारी परिषद् को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे किसी संशोधन के साथ या बिना संशोधन के इसे अनुमोदित करेगी ।

अध्याय-6

वार्षिक प्रतिवेदन, वित्त और लेखा

34. विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन-

- (1) विश्वविद्यालय के कामकाज का वार्षिक प्रतिवेदन कुलपति के निर्देश से तैयार किया जाएगा जिसमें विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा भी सम्मिलित रहेगा और उसे परिनियमों द्वारा यथाविहित तिथि को या उसके पहले कार्यकारी परिषद् को प्रस्तुत किया जाएगा जो इस पर विचार करेगी और ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए संकल्प पारित कर सकेगी जैसा कि ऐसे संकल्पों में विनिर्दिष्ट किया जाए:

परंतु यह कि वार्षिक लेखाओं के संबंध में न तो कोई विनिश्चय किया जाएगा और न वार्षिक प्रतिवेदन से संबद्ध संकल्प में ऐसा कुछ होगा जिसमें वार्षिक लेखाओं के संबंध में लेखा परीक्षकों की प्रतिवेदन का पूर्वानुमान मिल सकता है ।

- (2) कार्यकारी परिषद् अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, कुलाधिपति को भी वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

35. विश्वविद्यालय निधि-

- (1) एक निधि होगी जो झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय निधि कहलायेगी तथा यह निधि उसमें अन्तर्विष्ट उपबंध के अध्याधीन, इस अधिनियम, के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय में निहित होगी और उसमें निम्नलिखित रकम जमा की जाएगी-

- (i) विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य की संचित निधि से विश्वविद्यालय को अभीदत्त या अनुदत्त बीज धन एवं इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेश, विनियम और नियमावली के

उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उधार ली गई सभी राशि;

- (ii) केंद्र सरकार, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, औद्योगिक उपक्रमों, निगमों, कंपनी संघों, अन्य निकायों या स्थानीय प्राधिकारों द्वारा कोई योगदान या अनुदान;
 - (iii) इस अधिनियम, के किसी उपबंध तथा इसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों और नियमों के किसी भी प्रावधान के तहत विश्वविद्यालय को भुगतान की गई सभी रकम सहित विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित अध्ययन केंद्रों और विद्यापीठ द्वारा और उनकी ओर से प्राप्त सभी धन;
 - (iv) विश्वविद्यालय को किए गए विन्यासों से अर्जित सभी ब्याज एवं लाभ तथा किसी और स्थानीय प्राधिकार अथवा निजी व्यक्ति से प्राप्त सभी योगदान, दान और सब्सिडी;
 - (v) इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के तहत देय और लगाए गए सभी शुल्क; तथा
 - (vi) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सभी रकम, जो खंड (क), (ख), (ग), (घ) या (ङ) में सम्मिलित नहीं हो ।
- (2) विश्वविद्यालय की निधि, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम II, 1934) के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों में रखी जाएगी ।
 - (3) विश्वविद्यालय समय-समय पर ऐसे नाम और ऐसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, जो कार्यकारी परिषद् द्वारा तय किए जा सकते हैं, अन्य कोष स्थापित कर सकता है।
 - (4) विश्वविद्यालय की निधि और समस्त धन का प्रबंधन इस प्रकार किया जाएगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ।
 - (5) विश्वविद्यालय ऋण के उद्देश्य एवं ऋण राशि के संबंध में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक या किसी अन्य कॉरपोरेट निकाय या किसी वित्तीय संस्थान से ऋण के रूप में कोई भी राशि उधार ले सकती है ।

36. सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को अभिदान-

- (1) राज्य सरकार झारखण्ड राज्य के समेकित निधि से, विश्वविद्यालय को स्वयं को स्थापित करने में मदद करने के लिए बीज धन के रूप में एकमुश्त राशि का योगदान करेगी ।

- (2) विश्वविद्यालय अपने स्वयं के कोष से आवर्ती प्रकृति (वेतन और अन्य स्थापना व्यय) का खर्च वहन करेगा और राज्य सरकार से किसी भी आवर्ती अनुदान के लिए हकदार नहीं होगा।

37. **किन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय निधि उपयोजित की जाएगी-**

विश्वविद्यालय निधि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोजित की जाएगी:-

- (i) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों और नियमों के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणों को चुकाने के लिए;
- (ii) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विद्यापीठों, क्षेत्रीय केंद्रों, अध्ययन केंद्रों आदि को चालू रखने के लिए;
- (iii) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं अग्रिम की अदायगी के लिए तथा ऐसे पदाधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को भविष्य-निधि अंशदान या पेंशन या उपादान का भुगतान करने के लिए;
- (iv) कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद् के सदस्यों तथा विश्वविद्यालयों के किन्हीं अन्य अधिकारियों को अथवा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए परिनियमों, विनियमों और नियमों के अनुसरण में गठित किसी समिति या बोर्डों के सदस्यों को यात्रा एवं अन्य भत्ते की अदायगी के लिए;
- (v) अध्ययन केंद्रों तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान देने के लिए;
- (vi) विश्वविद्यालय निधि तथा किसी विभाग या अध्ययन केंद्र के लेखाओं की अंकेक्षण के खर्च का भुगतान करने के लिए;
- (vii) किसी ऐसे वाद या कार्यवाही का, जिसका विश्वविद्यालय एक पक्षकार हो, खर्च भुगतान करने के लिए;
- (viii) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों और नियमों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किसी खर्च का भुगतान करने के लिए; और
- (ix) वैसे किसी अन्य खर्च का भुगतान करने के लिए, जो किसी भी पूर्ववर्ती खंड में भले ही विनिर्दिष्ट न हो, किंतु जिसे विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ कार्यकारी परिषद् द्वारा खर्च घोषित किया गया हो।

38. **वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन-**

- (1) प्रत्येक विद्यापीठों के निदेशक, प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्रों के निदेशक तथा प्रत्येक अध्ययन केंद्र के समन्वयक, यदि उनसे ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, अपनी संभावित आय का जिसमें विन्यासों तथा वसीयतों, यदि कोई हो, से होने वाली आय भी शामिल है तथा आगामी वित्तीय वर्ष के संभावित व्यय का प्राक्कलन विहित प्रपत्र में तैयार करेंगे और कार्यकारी परिषद् उस पर विचार करेगी तथा उसे बिना किसी परिवर्तन के या परिवर्तनों सहित, जैसा वह उपयुक्त समझे, स्वीकृत करेगी ।
- (2) उप-धारा (1) के तहत प्राक्कलन प्राप्त होने पर, किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन को वित्त समिति कार्यकारी परिषद् के निर्देशन में अगला वित्तीय वर्ष शुरू होने से कम से कम पांच महीने पहले तैयार करेगी।
- (3) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वित्तीय प्राक्कलन इस प्रकार तैयार करेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सके ।
- (4) उप धारा (2) के अधीन तैयार किए गए प्रत्येक प्राक्कलन में कुलपति द्वारा दिए गए अनुदेश के अनुसार, विद्यापीठों, क्षेत्रीय केंद्रों एवं अध्ययन केंद्रों को अनुदानों के आवंटन सहित विश्वविद्यालय के सभी दायित्वों की सम्यक पूर्ति के लिए तथा इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों तथा नियमों को दक्षता पूर्वक लागू करने के लिए उपबंध किए जाएंगे ।
- (5) वित्तीय प्राक्कलन अनुमोदन के लिए कार्यकारी परिषद् को प्रस्तुत किए जायेंगे ।
- (6) कार्यकारी परिषद् तैयार किए गए प्राक्कलन पर विचार करेगी और उसे संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अनुमोदित करेगी ।
- (7) विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित प्राक्कलन को सरकार को प्रस्तुत करेगा ।
- (8) कार्यकारी परिषद्, अत्यावश्यक मामलों में, जहां बजट के लिए प्रदान की गई राशियों से अधिक व्यय आवश्यक पाया जाता है, लिखित में कारणों को दर्ज करते हुए, इस तरह के खर्च का वहन कर सकेगी ।
- (9) विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष सरकार के समान ही होगा ।

39. **बजट-**

- (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविद्यालय आगामी वित्तीय वर्ष का बजट

वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम-से-कम दो माह पहले राज्य सरकार के पास भेजेगा। विश्वविद्यालय उसमें आगामी वर्ष की प्राप्तियां और व्यय का प्राक्कलन दर्शायेगा। राज्य सरकार, जैसा उचित समझे आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

- (2) विश्वविद्यालय वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय राज्य सरकार को पूरक बजट भेजेगा तथा राज्य सरकार जैसा उचित समझे आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

40. **बजट में सम्मिलित नहीं किए गए व्यय पर प्रतिबंध-**

- (1) विश्वविद्यालय द्वारा या इसकी ओर से कोई राशि तब तक व्यय नहीं की जाएगी जब तक कि उसका व्यय वर्तमान बजट प्राक्कलनों में सम्मिलित न हो अथवा पुनर्विनियोग द्वारा या अंत जमाशेष से निकासी द्वारा उसकी पूर्ति नहीं की जा सके।
- (2) जमाशेष को ऐसी रकम से नीचे घटाया नहीं जाएगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

41. **वार्षिक लेखा और अंकेक्षण-**

- (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा विवरण वित्तीय वर्ष के समापन के बाद के तीन महीने की अवधि के भीतर एक वित्तीय वर्ष के लिए कार्यकारी परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किया जाएगा।
- (2) कार्यकारी परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित वार्षिक खातों का अंकेक्षण राज्य सरकार अथवा महालेखाकार, झारखण्ड द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा किया जाएगा।
- (3) कार्यकारी परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित वार्षिक खाते, साथ में अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति और अंकेक्षक द्वारा पिछली प्रतिवेदन में उठाए गए आपत्तियों और बिंदुओं पर विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्रवाई को दर्शाने वाले प्रतिवेदन की एक प्रति, हर हालत में, कार्यकारी परिषद् द्वारा कुलपति और नियुक्त लेखा परीक्षक को यथाशीघ्र वित्तीय वर्ष के अंत से नौ महीने की अवधि के भीतर अग्रेषित किया जाएगा।
- (4) कुलाधिपति विश्वविद्यालय को कुछ विशिष्ट गतिविधियों या योजनाओं से संबंधित खातों को बनाए रखने के तरीके के बारे में या प्राधिकरण के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, अधिकारी या विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी अंकेक्षण प्रतिवेदन में अनियमितता के लिए दोषी पाए जाने पर निर्देश देने के लिए सक्षम होंगे, और विश्वविद्यालय कुलाधिपति के निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

42. **राज्य सरकार को विश्वविद्यालय लेखाओं को अंकेक्षित कराने की शक्ति-**यदि राज्य सरकार आवश्यक समझे तो वह विश्वविद्यालय, किसी क्षेत्रीय केंद्र या अध्ययन केंद्र के लेखाओं का अंकेक्षण ऐसी एजेंसी द्वारा करा सकती है जिससे वह उचित समझे तथा अंकेक्षक का प्रतिवेदन

प्राप्त होने पर उस में उठाए गए बिंदुओं पर विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केंद्र या अध्ययन केंद्र से प्रतिवेदन मांगने और उस पर विचार करने के पश्चात ऐसा निर्देश निर्गत कर सकेगी जैसा वह उचित समझे और तब, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या अध्ययन केंद्र इसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा ।

43. **कोई भी पद राज्य सरकार के पूर्व स्वीकृति के बिना सृजित नहीं किया जाएगा-** इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना-
- (1) ऐसा कोई शिक्षण या गैर-शिक्षण पद सृजित नहीं करेगा जिसमें वित्तीय दायित्व अंतर्निहित हो;
 - (2) शिक्षण अथवा गैर शिक्षण पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को कोई विशेष वेतन अथवा भत्ता या किसी प्रकार का अन्य पारिश्रमिक जिसमें अनुग्रह अनुदान का भुगतान सम्मिलित हो या वित्तीय भार से अंतरग्रस्त कोई अन्य लाभ भी शामिल हो, स्वीकृत नहीं करेगा;
 - (3) अपने पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का संशोधन, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ और अन्य दिए गए लाभ जिसमें वित्तीय निहितार्थ हो पुनरीक्षण नहीं करेगा ।

अध्याय-7

विविध

44. **क्षेत्रीय एवं अध्ययन केंद्रों का निरीक्षण-**
- (1) प्रत्येक अध्ययन केंद्र ऐसे प्रतिवेदन, विवरणी और जानकारी देगा जैसा कि अकादमिक परिषद् से परामर्श करने के बाद कार्यकारी परिषद् अपेक्षा करे जिससे कि अध्ययन केंद्र की कार्यकुशलता का मूल्यांकन हो सके;
 - (2) कार्यकारी परिषद् समय-समय पर ऐसे प्रत्येक अध्ययन केंद्रों का निरीक्षण कराएगी;
 - (3) कार्यकारी परिषद् इस प्रकार निरीक्षण किए गए किसी अध्ययन केंद्र से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसी कार्रवाई करने की अपेक्षा करेगी जैसा कि किसी परिनियम में विनिर्दिष्ट मामले के संबंध में आवश्यक प्रतीत हो ।

45. शिक्षकों एवं अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति-

- (1) शिक्षकों और अधिकारियों (कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किए गए लोगों के अतिरिक्त) को इस तरह से और उन परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि परिनियम द्वारा निर्धारित किया जाय ।
- (2) विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर कार्यकारी परिषद् द्वारा शिक्षकों और अधिकारियों की नियुक्ति (कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किए गए लोगों के अतिरिक्त) की जाएगी ।
- (3) शिक्षकों और अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति से संबंधित मामलों में (कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किए गए लोगों के अतिरिक्त), मौजूदा यू.जी.सी. परिनियमों को यथातथ्यतः लागू किया जाएगा ।
- (4) यू.जी.सी. द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम के प्रकार को ध्यान में रखते हुए पूर्णकालिक शिक्षक, शिक्षाविद और अन्य प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों की संख्या प्रदान की जाएगी ।

46. नियुक्ति की शर्तें-

- (1) कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन के अध्यक्षीन विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति, बर्खास्तगी, सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाने, सेवा समाप्ति या पदावनति से संबंधित मामलों का निपटाव विश्वविद्यालय चयन समिति से सलाह लेने के बाद इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए परिनियमों में यथा विहित रीति से किया जाएगा ।

परंतु यह कि ऐसे किसी मामले में, जहां आदेश में केवल परिनिंदा, वेतन-वृद्धि रोकना, दक्षता-रोध पार करने के प्रक्रम पर रोकना अथवा निलंबन अंतर्गस्त हो, वहां शिक्षक या पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप की जांच पूर्ण होने तक विश्वविद्यालय चयन समिति से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा ।

- (2) विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अधिकारियों की अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ अन्य सेवा शर्तों को इस अधिनियम के तहत बनाए गए परिनियमों द्वारा निर्देशित किया जाएगा ।
- (3) विश्वविद्यालय चयन समिति हर एक पद के लिए योग्यता क्रम से दो नामों की अनुशंसा करेगी। चयन समिति की अनुशंसाएं उनके किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए विधि मान्य होंगी ।

- (4) कार्यकारी परिषद् नियुक्ति करते समय परिषद् द्वारा अनुशंसा की प्राप्ति की तिथि से तीन महीने की कालावधि के भीतर चयन समिति द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम से व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी ।
- (5) यदि कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार करने में या उसके द्वारा दिए गए योग्यता क्रम से नियुक्ति करने में असमर्थ हो, तो वह उसके कारणों को अभिलेखबद्ध कर मामले को कुलाधिपति के पास प्रस्तुत करेगी जिनका विनिश्चय अंतिम होगा ।
- (6) विश्वविद्यालय के शिक्षकों या पदाधिकारियों की नियुक्ति में विश्वविद्यालय चयन समिति को सहायता करने वाले विशेषज्ञों का नाम कुलाधिपति, उच्च शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा तैयार किए गए पैनल से निर्देशित करेंगे ।
47. **शिक्षकों की पदोन्नति-**विश्वविद्यालय में सहायक आचार्यों / सह आचार्यों / आचार्यों की प्रोन्नति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित एवं समय-समय पर संशोधित तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किए गए मानदंड/परिनियम के अधीन होगा।
48. **अस्थाई पद पर नियुक्ति-**प्रारंभ में झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, विशेषज्ञ और पेशेवर कर्मियों को अधिकतम 3 वर्षों के लिए अनुबंध या प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाएगा और इस अवधि के समाप्त होने के बाद यह पद समाप्त हो जाएंगे ।
49. **विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में नामांकन के लिए अहर्ताएं-**किसी विद्यार्थी का नामांकन विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या उस विश्वविद्यालय या तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा नियमित और विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय की समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो:
- परंतु जो छात्र उच्चतर माध्यमिक या पूर्व विश्वविद्यालयी परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनका नामांकन अध्यादेश और विनियमावली में विहित रीति से होता रहेगा ।
50. **आयोग की नियुक्ति-**
- (1) राज्य सरकार राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर किसी भी समय आयोग का गठन कर सकेगी ।
- (2) उप धारा (1) के अधीन गठित आयोग निम्नलिखित बातों की जांच करके प्रतिवेदन समर्पित करेगा:-
- (i) विश्वविद्यालय का कार्यपालन;

- (ii) विश्वविद्यालय, इसके क्षेत्रीय केंद्रों, अध्ययन केंद्रों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की वित्तीय स्थिति;
 - (iii) सुधार लाने की दृष्टि से इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों की उपबंधों में किया जाने वाला कोई परिवर्तन;
 - (iv) ऐसे अन्य विषय जो राज्य सरकार द्वारा इसे निर्दिष्ट किया जाए ।
- (3) उप धारा (2) के अधीन अनुशंसाएँ प्राप्त होने पर राज्य सरकार उसे विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकार के पास विचार करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए भेजेगी तथा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जो वह उचित समझे। सरकार उस आदेश को राजपत्र में प्रकाशित कराएगी। उसके बाद विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर आदेश का अनुपालन करेगा ।

51. **विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और निकायों के गठन के संबंध में विवाद-**

- (1) जहाँ ऐसा कोई भी प्रश्न उत्पन्न हो:-
- (i) इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या या,
 - (ii) क्या किसी व्यक्ति को विधिवत रूप से निर्वाचित / नियुक्त किया गया है, या नहीं अथवा विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी सदस्य होने का हकदार है या नहीं, तो मामला कुलाधिपति के पास निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उनका विनिश्चय अंतिम होगा ।
- (2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय द्वारा नियुक्त कोई भी नामित या पदेन सदस्य के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने अपना कार्यालय खाली कर दिया है, जैसे ही उनका नामांकन या नियुक्ति संबंधित प्राधिकार द्वारा रद्द कर दी जाती है या उसका उस पद पर काबिज़ होना रूक जाता है जिसके आधार पर वह विश्वविद्यालय के प्राधिकार या निकाय का सदस्य रहा हो ।

52. **रिक्तियों का भरा जाना-** विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों के बीच मृत्यु, त्यागपत्र देने या अन्य कारण से हुई रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधा अनुसार उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएगी जिसने उस सदस्य को जिसका स्थान रिक्त हो गया है, नियुक्त, नाम-निर्देशित, निर्वाचित या सहयोजित किया हो और इस प्रकार नियुक्त, नाम निर्देशित, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति विहित पदावधि की असमाप्त अवधि के लिए ऐसे प्राधिकार या निकाय का सदस्य बना रहेगा:

परन्तु यह कि पूर्वोक्त रीति से नियुक्त, नामनिर्देशन या निर्वाचन द्वारा ऐसी रिक्तियों के भरे जाने तक, यदि विश्वविद्यालय का प्राधिकार या निकाय ऐसा विनिश्चय करे, तो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी रिक्ति भरने के लिए अर्हक किसी व्यक्ति के सहयोजन से उसे भरा जा सकेगा तथा इस प्रकार सहयोजित कोई व्यक्ति ऐसे प्राधिकार या निकाय का सदस्य के रूप में तब तक पद धारण करेगा जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उस पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति, नामनिर्देशन या निर्वाचन न हो जाए ।

53. विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और निकायों की कार्यवाही, रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होगी-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र इसके सदस्यों के बीच मौजूदा रिक्ति या रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

54. कर्मचारियों की सेवा शर्तें-

(1) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित, परिनियमों द्वारा निर्धारित की जायेंगी ।

(2) विश्वविद्यालय के प्रत्येक वेतनभोगी कर्मचारी को एक लिखित अनुबंध के तहत नियुक्त किया जाएगा और ऐसा अनुबंध अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होगा ।

असंगत नहीं होगा ।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अनुबंध विश्वविद्यालय के पास दर्ज किया जाएगा और इसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी ।

55. सेवानिवृत्ति-

(1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके अतिरिक्त

(i) विश्वविद्यालय के शिक्षक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि वह होगी जिस तिथि को वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे;

(ii) उप-धारा (1) (i) में असम्मिलित अन्य सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि वह होगी जिस तिथि को वे साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे;

(iii) यदि इस राज्य के अन्य विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, जो उस विश्वविद्यालय के अधिनियम के अधीन बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निवृत्त होने वाला हो इस विश्वविद्यालय की सेवा ग्रहण करें तो ऐसे कर्मचारी उस तिथि को सेवानिवृत्त होगा जिस तिथि को वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा;

परंतु यह कि कोई शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी जिसकी सेवा-निवृत्ति की तिथि किसी महीने की पहली तिथि को पड़ती हो, पूर्ववर्ती महीने की अंतिम तिथि के अपराहन से सेवा-निवृत्त होगा तथा यदि उसकी सेवा-निवृत्ति की तिथि महीने

की किसी अन्य तिथि को पड़ती हो, तो वह उस महीने की अंतिम तिथि के अपराहन सेवा-निवृत्त होगा।

- (2) विश्वविद्यालय किसी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी से, जिसने अपनी प्रथम नियुक्ति की तिथि से गणना करने पर 23 वर्षों की अर्हक सेवा या 27 वर्षों की कुल सेवा पूरी कर ली हो, विश्वविद्यालय सेवा से निवृत्त होने की अपेक्षा कर सकेगा यदि वह समझे कि उसका आचरण या दक्षता ऐसी है जो उसके सेवा में बने रहने को न्यायोचित नहीं ठहराता।
- (3) (i) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी कोई शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी संबद्ध नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम तीन महीने पहले लिखित नोटिस देने के बाद ऐसी तिथि से, जिस तिथि को ऐसे शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी ने 32 वर्षों की अर्हक सेवा या 52 वर्षों की आयु पूरी कर ली हो अथवा उसके बाद ऐसी तिथि से जो नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, सेवानिवृत्त हो सकेगा:

परंतु यह कि निलंबन आदेश के अधीन विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी कार्यकारी परिषद् के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के बिना सेवानिवृत्त नहीं हो सकेगा।

- (ii) विश्वविद्यालय लोकहित में, किसी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी से, कम से कम तीन महीना पहले लिखित नोटिस देने के बाद या ऐसी नोटिस के बदले तीन महीने के वेतन और भत्ते के बराबर राशि का भुगतान करने के बाद, ऐसी तिथि से जिस तिथि को उसने 32 वर्षों की अर्हक सेवा या 52 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो या उसके बाद ऐसी तिथि से जो नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, सेवा-निवृत्त होने की अपेक्षा कर सकेगा।

56. आचरण संहिता-

- (1) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की आचरण संहिता परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।
- (2) यदि विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी किसी अन्य संस्था का पद अथवा चुनाव द्वारा या अन्यथा सदस्यता ग्रहण करे जिसके चलते विश्वविद्यालय के कार्य को नुकसान पहुँचता हो तो ऐसे कर्मचारी के लिए अपेक्षित होगा कि वह विश्वविद्यालय से पूर्व अनुमति और निश्चित अवधि के लिए असाधारण अवकाश प्राप्त कर ले।
- (3) विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी कुलपति की पूर्व अनुमति के बिना अपने पदीय कार्य से भिन्न कोई व्यवसाय, कारोबार या पेशा नहीं करेगा तथा अवैतनिक छुट्टी पर जाने की दशा में वह विश्वविद्यालय निधि से कोई वेतन या भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा किंतु किसी दूसरी संस्था में उसके कार्य के स्वरूप को देखते हुए उसे

उस अवधि के दौरान वेतन वृद्धि प्राप्त करने की अनुमति दी या नहीं दी जा सकेगी।
ऐसी असाधारण छुट्टी परिनियम द्वारा विहित की जाएगी:

परंतु यह कि यदि विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी केंद्र या राज्य विधान मंडल का सदस्य निर्वाचित हो जाए तो वह अपनी सदस्यता की संपूर्ण अवधि तक बिना वेतन ही विशेष अवकाश पर समझा जाएगा। ऐसे कर्मचारी की सेवा-शर्त, सम्यक रूप से सुरक्षित रखी जाएगी ताकि वह वेतन- वृद्धि, प्रोन्नति, वरीयता प्राप्त करता रहे और सदस्यता की अवधि पूरी होने पर विश्वविद्यालय में अपना कर्तव्य पुनः ग्रहण कर सकेगा।

परंतु यह और कि ऐसे कर्मचारी की विश्वविद्यालय निकाय की सदस्यता उस तिथि से समाप्त समझी जाएगी जिस तिथि को वह केंद्र या राज्य विधान मंडल का सदस्य बन गया हो।

57. हिरासत का प्रभाव-

- (1) यदि विश्वविद्यालय का कोई शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी आपराधिक आरोप या अन्यथा सुरक्षा के आधार पर 48 घंटों से ज्यादा तक किसी विधि के अधीन अभिरक्षा में हिरासत में लें लिया जाए तो वह नियुक्ति प्राधिकार के आदेश से हिरासत की तिथि से निलंबित किया गया समझा जाएगा।
- (2) हिरासत से निर्मुक्त होने पर वह निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अलावा किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।
- (3) यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी आपराधिक आरोप की कार्यवाही चले या निवारक हिरासत का उपबंध करने के लिए किसी अन्य विधि के अधीन वह निरुद्ध हो, तो वह उस अवधि के लिए, जिसके दौरान वह अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया हो या कारावास का दंडादेश भुगत रहा हो, निलंबित समझा जाएगा और उसे परिनियमों में अन्तर्विष्ट सिद्धांतों के अनुसार देय जीवन-निर्वाह अनुदान को छोड़कर उक्त अवधि के लिए किसी प्रकार का वेतन या भत्ता लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके विरुद्ध चलाई गई कार्यवाही समाप्त न हो जाए अथवा, यथास्थिति, वह हिरासत से निर्मुक्त न हो जाए और उसे पुनः कर्तव्य ग्रहण करने की अनुमति न मिल जाए। ऐसी अवधि के उसके भत्ते का सामंजन मामले की परिस्थिति के अनुसार किया जाएगा। उसे पूरी राशि तभी दी जाएगी जब वह दोष मुक्त हो जाए या किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा उसका हिरासत अनुचित पाया जाए।
- (4) किसी कर्मचारी को जिसके विरुद्ध आपराधिक आरोप की कार्रवाई लंबित हो, इस आशय के विशेष आदेश द्वारा उस अवधि के दौरान निलंबित रखा जाएगा जिस अवधि में वह

वास्तव में अभिरक्षा में निरुद्ध या कारावासित नहीं हो (अर्थात् जब वह जमानत पर छोड़ा गया हो), यदि उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप या चलाई गई कार्यवाही कर्मचारी के रूप में उसकी परिस्थिति से संबंधित हो अथवा इस रीति से उसके कर्तव्यों के निष्पादन में उलझन हो गया हो अथवा इसमें नैतिक अधमता का प्रश्न अंतर्गस्त हो ।

58. **पेंशन, उपादान, बीमा और भविष्य निधि-**

- (1) विश्वविद्यालय, परिनियमों द्वारा यथाविहित रीतियों और शर्तों के अध्यक्षीन, अपने पदाधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के (जो भारत की लोक सेवाओं के सदस्य हैं और जिनकी सेवाएं विश्वविद्यालय में उधार ली गई हैं, उनको छोड़कर) लाभ के लिए ऐसी पेंशन, उपादान, बीमा या भविष्य निधि की स्थापना करेगा जिसे वह उचित समझे। राज्य सरकार पर किसी प्रकार की पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा या भविष्य निधि का कोई दायित्व नहीं होगा ।
- (2) जब इस पद्धति से किसी ऐसी पेंशन, उपादान, बीमा या भविष्य निधि की स्थापना हो जाए तब राज्य सरकार यह घोषणा कर सकेगी की उक्त निधि पर भविष्य निधि अधिनियम 1925 (अधिनियम 19, 1925) के उपबंध लागू होंगे ।

59. **प्राधिकारों और अधिकारियों को जिम्मेदार होना-**यह सुनिश्चित करना विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकरण और पदाधिकारी का कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय का हित विधिवत सुरक्षित रहे ।

60. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण-**कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों में से किसी के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है, या की जाने के लिए आशयित है विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

61. **विश्वविद्यालय के अभिलेख को साबित करने का ढंग-**विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज की जो विश्वविद्यालय के कब्जे में हैं या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी पंजी की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि इस प्रकार कुलसचिव द्वारा प्रमाणित की जाने पर, उस दशा में जिसमें उसकी मूल प्रति पेश की जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होगी, उसमें विनिर्दिष्ट मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी ।

62. **इस अधिनियम के प्रारंभ में कुलाधिपति द्वारा कठिनाइयों को दूर किया जाना-**यदि विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों के प्रथम कार्यान्वयन में अथवा अन्यथा कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारों के गठन के पूर्व किसी समय यथासंभव इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों से संगत आदेश द्वारा ऐसी कोई नियुक्ति या कोई अन्य कार्य कर सकेंगे जो कठिनाई को दूर करने के लिए उनके लिए आवश्यक या उचित प्रतीत हो तथा ऐसे सभी आदेश उसी रीति से लागू होंगे मानो उक्त नियुक्ति या कार्य इस अधिनियम में उपबंधित रीति से किया गया हो:

परंतु यह कि ऐसा आदेश जारी करने के पूर्व कुलाधिपति प्रस्तावित आदेश पर विश्वविद्यालय के कुलपति तथा ऐसे समुचित प्राधिकार जो गठित किए जा चुके हों, की राय प्राप्त करेंगे और उस पर विचार करेंगे।

63. **संक्रमणकालीन उपबंध-** इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी:-
- (1) प्रथम कुलपति, प्रथम कुलसचिव, प्रथम कुलसचिव (परीक्षा) और प्रथम वित्त पदाधिकारी कुलाधिपति द्वारा अधिकतम 3 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाएंगे बशर्ते कि उपर्युक्त पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा क्रमशः 11 (4) (i), 16 (2) 17(1) और 18 (1) के रूप में निर्धारित सभी शैक्षिक योग्यता और अनुभव को पूरा करना होगा।
 - (2) पहली कार्यकारी परिषद् में नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा और वे तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;
 - (3) (i) पहले योजना बोर्ड में दस से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिन्हें कुलपति द्वारा नामांकित किया जाएगा और वे तीन वर्षों के लिए पद धारण करेंगे;
 - (ii) योजना बोर्ड इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त अकादमिक परिषद् की शक्तियों का प्रयोग तब तक करेगा जब तक कि इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन अकादमिक परिषद् का गठन नहीं किया जाता है और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए योजना बोर्ड ऐसे सदस्यों को सहयोजित कर सकेगा, जो वह विनिश्चित करे।
64. **कार्यकारी परिषद्, योजना बोर्ड अकादमिक परिषद् और वित्त समिति को गठित करने के परियोजनार्थ निर्वाचन-**कुलाधिपति, कार्यकारी परिषद्, योजना बोर्ड, अकादमिक परिषद् और वित्त समिति का गठन करने के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि धारा-63 में विनिर्दिष्ट कालावधि बीत जाने की अगली तिथि से सदस्य अपने-अपने पदों का प्रभार ग्रहण कर सकें तथा उक्त प्राधिकारों के सदस्यों की पदावधि उक्त तिथि से प्रारंभ समझा जाएगा।
65. **कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित करने की शक्तियाँ-**यदि कुलपति ऐसे प्रतिवेदित करते हैं कि उनकी राय में चुनाव करना न तो तत्काल संभव है और न विश्वविद्यालय के हित में है तो इस अधिनियम की पूर्ववर्ती धाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी कुलाधिपति नामित कर रिक्तियों को भर सकेंगे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

मुकुलेश चन्द्र नारायण,
प्रभारी प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

22 नवम्बर, 2021

संख्या-एल०जी०-10/2021-83—लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-02/11/2021 को अनुमत झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE JHARKHAND STATE OPEN UNIVERSITY ACT, 2021

(Jharkhand Act, 12, 2021)

PREAMBLE

An Act to establish and incorporate an open university at the state level for the introduction and promotion of open university and distance education system in the educational pattern of the Jharkhand State and for the co-ordination and determination of standards in such systems.

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the Seventy Second year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-1

Preliminary

1. Short title, Extent and Commencement—

This Act may be called the Jharkhand State Open University Act, 2021.

It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

It shall come into force from the date of publication in the official Gazette of the State of Jharkhand or from such date as the State Government may notify.

2. Definitions- In this Act, unless the context otherwise requires:-

- (i) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
- (ii) "Academic session" means duration of twelve months beginning either in January or in the month of July of every year;
- (iii) "Assistant Professor" means a teacher of the University possessing such qualifications as prescribed by the Statutes and appointed as such in the manner as prescribed.
- (iv) "Associate Professor" means a teacher of the University possessing such qualifications as prescribed by the Statutes and appointed/promoted as such in the manner as prescribed.
- (v) "Authorities" means the Authorities of the University;

- (vi) "Centre for Internal Quality Assurance" (CIQA) means a Centre for Internal Quality Assurance of the University.
- (vii) "Chancellor" means the Chancellor of the University;
- (viii) "Coordinator" means the Coordinator of the Study Centre appointed by the University;
- (ix) "Counsellor" means a teacher and includes Professor, Associate Professor, Assistant Professor and such other persons imparting instructions in any school or in any study centre maintained and managed or recognized by the University;
- (x) "Director" means the Director of the Schools set up by the University and includes Director of Centre for Internal Quality Assurance; (CIQA)
- (xi) "Distance Education Systems" means the system of imparting education through any means of communication, such as, broadcasting, telecasting, correspondence course, seminars, contact programmes or the combination of any two or more of such means;
- (xii) "Employee" means any person appointed and paid by the University and includes teachers and other academic staff of the University;
- (xiii) "Executive Council" means the Executive Council of the University;
- (xiv) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;
- (xv) "Government" means the State Government of Jharkhand;
- (xvi) "Learner Support Services" means and includes such services as are provided by the University in order to facilitate the acquisition of teaching-learning experiences by the learner to the level prescribed by or on behalf of this Act in respect of a programme of study;
- (xvii) "Open and Distance Learning (ODL)" means a mode of delivering education and instructions to learners who are not physically present in a traditional setting of a classroom. Transaction of the curriculum is effected by means of specially prepared materials (self-study learning materials) which are delivered to the learners at their doorstep through various media, such as, print, television, radio, satellite, audio/video tapes, CD-ROMs, Internet and World Wide Web etc.;
- (xviii) "Planning Board" means the Planning Board of the University
- (xix) "Prescribed" means prescribed by this Act or by the Statutes, Ordinance, Regulations or the Rules framed thereunder;
- (xx) "Professor" means a teacher of the University possessing such qualifications as are prescribed by the Statutes and appointed/promoted as such in the manner as prescribed.
- (xxi) "Programme" means a course or programme of study leading to the award of a Degree at graduate and postgraduate levels in the University including Certificate or Diploma or Post Graduate Diploma;
- (xxii) "Programme Coordinator" means a teacher of the University responsible for the coordination of instructions, training and research in a programme/course run by the University.

- (xxiii) "Pro-Vice-Chancellor" means the Pro-Vice-Chancellor of the University;
- (xxiv) "Recognised Institution" means the institution established for research or specialised studies and recognised as such by the University.
- (xxv) "Regional Centre" means a centre established or maintained by the University for the purpose of co-ordinating and supervising the work of Study Centres in any region and for performing such other functions as may be conferred on such centre by the University;
- (xxvi) "Regulations" means the Regulations made by any authority of the University under this Act for the time being in force;
- (xxvii) "School" means a School of Studies of the University;
- (xxviii) "Self-Learning Material" means and includes contents in the form of course material, whether print or non-print, which is inter-alia self-explanatory, self-contained, self-directed at the learner, and amenable to self-evaluation, and enables the learner to acquire the prescribed level of learning of a course of study, but does not include textbooks or guidebooks;
- (xxix) "Statutes" and " Ordinances" mean, respectively, the Statutes and Ordinances of the University for the time being in force;
- (xxx) "Student" means a student of the University, and includes any person who has enrolled himself for pursuing any course of study of the University;
- (xxxi) "Study Centre" means a centre established, maintained or recognised by the University for the purpose of advising, counselling or imparting education or for rendering any other assistance required by the students;
- (xxxii) "Teacher" includes Professor, Associate Professor, Assistant Professor and such other persons imparting instructions in any school or in any study centre maintained and managed or recognized by the University;
- (xxxiii) "University" means the Jharkhand State Open University established under this Act;
- (xxxiv) "University area" means the area to which this Act extends;
- (xxxv) "University headquarters" means the place where the administrative offices of the University are situated;
- (xxxvi) "University funds" means the fund of the University established under this Act and Statutes;
- (xxxvii) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the University.

CHAPTER-2**The University: objects, powers and functions****3. Establishment and incorporation of the University-**

- (1) There shall be established a University by the name of the Jharkhand State Open University.
- (2) The headquarters of the University shall be at Ranchi (in Jharkhand) and it may establish or maintain Regional Centre and Study Centre at such other places in the State as it may deem fit.
- (3) With the establishment of this University-
Any other University; the headquarters of which is situated outside the State of Jharkhand, shall discontinue their distance education programme(s) through open and distance learning system in Jharkhand State, within a period of one year from the date of commencement of this Act failing which such continuance of the said programme(s) by such Universities shall be deemed to be unauthorized.
the provisions of the clause (i) above shall not apply to any University as is established under any law made by the Parliament
- (4) The first Chancellor, the first Vice-Chancellor, the first Pro-Vice-Chancellor, every member of the Executive Council and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members and so long as they continue to hold such office or membership shall together constitute a body corporate by the name of the University specified in subsection (1).
- (5) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.
- (6) In all suits and other legal proceedings by or against the University, the pleadings shall be signed and verified by, and all processes in such suit and proceedings shall be issued to and be served on the Registrar.

4. The Jurisdiction of the University-

The jurisdiction of the University shall extend over the State of Jharkhand for the purpose of imparting instructions and training through any means of communication such as broadcasting, telecasting, correspondence, seminars, counselling classes, online classes or the combination of any two or more of such means but in no case the University shall have any jurisdiction over the Universities, Departments, Colleges and institutions or other Bodies established in the State of Jharkhand for imparting formal education in any branch of learning:

Provided that the University, with the agreement of other Universities or Bodies in the State of Jharkhand may utilise the buildings, furniture, library, laboratory and the services of teachers, on part-time basis, of other Universities and Bodies or their colleges functioning in the State of Jharkhand for establishment of study centre(s) on such terms and conditions as may be determined by the Chancellor.

Provided further that persons of Indian Union shall be entitled to seek enrollment as students of the University.

5. Objects of the University–

- (1) The objects of the University shall be-
 - (1) to provide educational opportunities to those who are unable to go in for formal education and wish to upgrade their education or acquire knowledge and studies in various fields through the distance mode of education, such as, the print-medium (correspondence courses), contract programmes, study centres and mass media;
 - (2) to provide access to higher education to large segments of the population and in particular the disadvantaged groups, such as, those living in remote and rural and tribal areas including working people, housewives and other adults who wish to upgrade or acquire knowledge through studies in various fields;
 - (3) to provide flexibility with regard to eligibility for enrolment, age of entry, choice of courses, methods of learning, conduct of examinations and operation of the programmes, complementary to the programmes of the existing Universities in the State in the field of higher learning;
 - (4) to offer degree, diploma and certificate programme/courses and to make provision for research for the advancement and dissemination of knowledge.
 - (5) to advance and disseminate learning and knowledge by different means, including the use of communication technology.
 - (6) to promote acquisition of knowledge in a rapidly developing *and* changing society and to offer opportunities for upgrading knowledge, training and skills in the context of innovations, research and discovery in all fields of human endeavours,
 - (7) to establish the following Schools of Studies at the Headquarters of the University, namely –
 - (i) School of Humanities,
 - (ii) School of Social Sciences,
 - (iii) School of Sciences and Technology,
 - (iv) School of Education,
 - (v) School of Continuing and Extension Education,
 - (vi) School of Business and Management Studies,
 - (vii) School of Health Care Studies;
 - (viii) School of Computer and Information Sciences,
 - (ix) School of Agriculture Science.
 - (x) School of Tribal Studies
 - (xi) School of Journalism and Mass Communication,
 - (xii) School of Tourism and Hospitality Service Management

- (xiii) School of Vocational Education and Training
 - (xiv) School of Social Work,
 - (xv) School of Gender and Development Studies
 - (xvi) Any other Schools with the approval of the Government,
- (8) to contribute to the improvement of the educational system in Jharkhand by providing a non-formal channel complementary to the formal system by making wide use of texts and other software developed by the University.
- (i) to provide education and training in the various courses,
 - (ii) to provide the counselling and guidance to its students
- (2) The University shall strive to fulfill the above objects by a diversity of means of distance education and shall function in cooperation with the existing Universities and Institutions of higher learning and make full use of the latest scientific knowledge and new educational technology to offer a high quality of education to meet contemporary needs.

6. Power and Functions of the University—

- (1) The University shall have the following powers and functions, namely:-
- (1) to provide for admission, instruction and training in such branches of knowledge, technology, vocations and professions as the University may determine from time to time and to make provision for research;
 - (2) to plan and prescribe courses of study for degrees, diplomas, certificates or for any other purpose;
 - (3) to hold examinations and confer degrees, diplomas, certificates or other academic distinctions or recognitions on persons who have pursued a course of study or conducted research in the manner laid down by the Statutes and Ordinances;
 - (4) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner laid down by the Statutes;
 - (5) to determine the manner in which distance education in relation to the academic programmes of the University may be organised;
 - (6) to make special provision for the spread of higher education among educationally backward classes and women;
 - (7) to withdraw or cancel any Degree, Diploma or Certificate conferred or granted by the University in the manner as is prescribed by the Statutes;
 - (8) to institute professorships, associate professorships, assistant professorships and other academic positions necessary for imparting instruction or for preparing educational material or for conducting other academic activities, including guidance, designing and delivery of course and evaluation of the work done by the students, and to appoint persons to such professorships, associate

- professorships, assistant professorships and other academic positions under conditions prescribed by the Statutes made under this Act;
- (9) to co-operate with, and seek the co-operation of other universities and institutions of higher learning, professional bodies and organisations for such purposes as the University considers necessary;
 - (10) to hold and manage trusts and endowments and to institute and award fellowships, scholarships, medals, prizes and such other awards for recognition of merit as the University may deem fit;
 - (11) to establish the Centre for Internal Quality Assurance (CIQA) to develop and put in place a comprehensive and dynamic internal quality assurance system to provide high quality programmes of higher education in the Open and Distance Learning mode. The functions of Centre for Internal Quality Assurance (CIQA) shall be determined by the Statutes/Regulations framed under this Act.
 - (12) to take such measures as are necessary to blend Information Communication Technologies (ICT), including those developed by national mission on education through Information and Communication Technology, for enhancing effectiveness of teaching-learning process, and administrative functioning and for maintenance of updated information at all times in respect of status of admissions, registration, for managing teaching-learning activities through on-line support for interactive learning with learner feedback, to facilitate the use of Open Educational Resources (OER), Massive Open Online Courses and for continuous as well as comprehensive evaluation, certification, and other aspects of student support;
 - (13) to establish and maintain such Regional Centres as may be determined by the University from time to time;
 - (14) to establish and maintain Study Centres in the manner laid down by the Statutes;
 - (15) to establish, maintain and manage research departments in the manner prescribed by the Statutes made under this Act;
 - (16) to inspect regional centers, study centers and recognised institutions and take measures to ensure proper standards of instruction, teaching and training with adequate library and laboratory provisions.
 - (17) to provide for the preparation of instructional materials, including films, cassettes, tapes, video CD and other software to learners who are not physically present in a traditional setting of a classroom. Transaction of the curriculum is effected by means of specially prepared materials (self-study learning materials) which are delivered to the learners at their doorstep through various media such as print, television, radio, satellite, audio/video tapes, CD-ROMs, Internet and World Wide Web etc.;

- (18) to organise and conduct refresher courses, workshops, seminars and other programmes for teachers, lesson writers, counsellors, evaluators and other academic staff;
- (19) to conduct courses through distance mode as are approved by the University Grants Commission, in accordance with the provisions of this Act.
- (20) to recognise examinations of, or periods of study (whether in full or part), of other universities, institutions or other places of higher learning as equivalent to examinations or periods of study in the University, and to withdraw such recognition at any time;
- (21) to make provision for research and development in educational technology and related matters;
- (22) to create teaching, administrative, ministerial and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and to make appointments thereto, subject to condition that the University shall bear the salary cost of all such employees, both teaching, and non-teaching and other staff so appointed or engaged out of its own fund and shall not be entitled to any grant whatsoever from the Government towards the payment of salary, remuneration, cess or honorarium etc;
- (23) to lay down and regulate the salary, scale of pay, allowances and other conditions of service of the employees and members of the teaching and other academic and nonteaching staff of the University, including their code of conduct in accordance with the provisions of the State Government and UGC Guidelines.
- (24) to receive and maintain benefactions /donations and gifts for the purpose of the University;
- (25) to borrow, with the approval of the State Government, whether on the security of the property of the University or otherwise, money for the purposes of enhancing legitimate activities of the University;
- (26) to institute and maintain residential accommodations for students and staff of the University as appropriate;
- (27) to erect, equip and maintain laboratories, libraries and museums;
- (28) to acquire, hold and manage property both movable and immovable, to lease, sell or otherwise transfer or dispose of any property movable or immovable, which may vest in or be acquired by it for the purposes of the University, with the approval of the State Government, and to enter into contract and do all other acts or things necessary for the purposes of this Act:
 - (i) Provided that no such lease, sale or transfer of immovable property shall be made without the prior approval of the various authority of the University and the State Government.
 - (ii) Provided further that where the State Government is satisfied that any such property may, in the interest of the University, be given on lease or

otherwise transferred or disposed of, the Government shall issue necessary directions to the University and the University shall comply with such directions forthwith,

- (29) to enter into, carry out, vary or cancel contracts;
- (30) to fix, demand and receive such fees and other charges as may be laid down by the Ordinances;
- (31) to provide, control and maintain discipline among the students and all categories of employees and to lay down the conditions of service of such employees. including their codes of conduct;
- (32) to recognise any institution of higher learning or studies for such purposes as the University may determine and to withdraw such recognition;
- (33) to appoint, either on contract or otherwise, Officer on Special Duty (OSD), Visiting Professors, Emeritus Professors, Consultants, fellows, scholars, artists, course writers and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University;
- (34) to recognise persons working in other universities, institutions or organisations as teachers/Counsellor of the University on such terms and conditions as may be laid down by the Ordinances;
- (35) to determine standards and to specify conditions for the admission of students to courses of study of the University which may include examination, evaluation and any other method of testing;
- (36) to make arrangements for the promotion of the general health and welfare of the employees;
- (37) to do all such acts as may be necessary or incidental to the exercise of all or any of the powers of the University as are necessary and conducive to the promotion of all or any of the objects of the University.
- (38) to do all such acts as may be necessary to introduce a technological medium that replaces the inter-personal communication of conventional classroom based education that takes place between the teacher and the learners;
- (39) to do all such acts to make communication effective between the institution, teachers and learners mainly through electronic media (telephone, interactive radio counselling, teleconferencing, videoconferencing, chat sessions, email, website etc.) and also through postal correspondence and limited face to face contact sessions held at Study Centres that should be set up by the University as close to the learners' homes as possible;
- (40) to do all acts to disseminate and describe all the teaching learning arrangements, where the learner and the teacher are separated by space and time, in a mode that delivers education and instructions to learners in a befitting manner;

- (41) to do all act necessary to cover a wide range of innovations and reforms in the educational sector that advocate flexibility to the learner with regard to entry and exit, pace and place of study, method of study and also the choice and combination of courses, assessment and course completion;
- (42) to do all such acts as may be necessary to remove or lessen restrictions which impede Open Learning System which is aimed to redress social or educational inequality and to offer opportunities not provided by conventional colleges or Universities and where the educational opportunities are planned deliberately so that access to education becomes easily available to larger sections of the society;
- (2) Notwithstanding anything contained in any other law, for the time being in force, but without prejudice to the provisions of sub-section (1) it shall be the duty of the University to take all such steps as it may deem fit for the promotion of the Open University and distance education systems and for determination of standards of teaching, evaluation and research in such systems.
- (3) In carrying out its objects, the University shall strive for cooperation with other Open Universities in India and shall observe, to the extent feasible, the educational norms and standards prescribed by them for Open Learning System.

7. **University open to all classes, castes and creeds-** No person shall be excluded from membership of any of the authorities of the University or from admission to any degree or course of study of the University on the ground of sex, race, descent, class, caste, language or political belief. It shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever relating to religious or political belief or dogma in order to entitle him to be admitted thereto as a teacher or student, or to hold any office or appointment therein, or to graduate therefrom, or to enjoy or exercise any privilege thereof, except where, in respect of any particular benefaction accepted by the University, such test is made a condition thereof by any testamentary or other instrument creating such benefaction :

Provided that nothing contained in this section shall prevent the University from making any provision for reservation of posts and appointments in favour of members of the scheduled castes and scheduled tribes, backward classes, economically backward classes and women.

University shall follow the reservation rule of the State Government.

8. **Teaching-**

- (1) All recognised teaching in connection with University courses shall be conducted through any means of communication, with the help of study centres, with adequate library facilities, part-time instructions, counselling, contact programme, working laboratories and home assignments etc. conducted by Professors, Associate Professors and Assistant Professors and other teachers in accordance with the syllabus prescribed by the Regulation.
- (2) The authorities responsible for organizing such teachings shall be prescribed by Statutes.
- (3) The courses and curriculum shall be prescribed by Regulations.

- (4) It shall not be lawful for the University to maintain classes or conduct examinations for the purpose of preparing students to become eligible for admission to the courses/programmes run by the University.
- (5) The University shall conduct examinations for various courses in Art, Science, Commerce and other discipline as per prescribed rules and regulations.

CHAPTER-3

Officers of the University

9. Officers of the University- The following shall be the Officers of the University, namely

- (i) The Chancellor;
- (ii) The Vice-Chancellor;
- (iii) The Pro-Vice-Chancellor;
- (iv) The Directors of Schools;
- (v) The Director of Centre for Internal Quality Assurance(CIQA)
- (vi) The Registrar;
- (vii) The Registrar (Examinations);
- (viii) The Finance Officer/Manager;
- (ix) The Manager (I.T.)
- (x) Such other persons as may be declared by the Statute to be the Officers of the University.

10. The Chancellor–

- (1) The Governor of Jharkhand shall be the Chancellor and shall, by virtue of his/her office, be the head of the University and shall, when present, preside over the convocation of the University.
- (2) The Chancellor shall have the right to inspect the University, its buildings, laboratories, workshops and equipment, any study centre, the teaching activities of the University, examinations conducted or any of the act done by the University, and/or to get such inspection done by any person or persons, who may be directed by him to do so and to enquire or to cause an enquiry to be made in like manner, in respect of any matter connected with the University, and it shall be the duty of the authorities of the University or the Study Centre to give full co-operation in such enquiry or inspection etc:
 Provided that the Chancellor shall, in every case, inform the Vice-Chancellor of his intention to inspect or inquire or to get the inspection or enquiry conducted and the University shall be entitled to be represented thereat.
- (3) (i) The Chancellor may send the results of such inspection or enquiry to the Vice-Chancellor and direct him to take action thereon. The Vice-Chancellor shall then

communicate the views of the Chancellor to the Executive Council and the Academic Council.

- (ii) The Executive Council and the Academic Council shall report to the Chancellor such action, if any, as they have taken or may propose some fresh action be taken upon the results of such inspection or enquiry.
- (iii) Where the Executive Council and the Academic Council do not within a reasonable time take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may, after considering any explanation furnished or representation filed by the Executive Council and the Academic Council, issue such direction as he may think fit, through the Vice Chancellor, and the Executive Council and the Academic Council shall be bound to comply with the said direction at once:

Provided that notwithstanding anything contained in this sub-section the Chancellor, if he considers necessary, may, on the report of the Vice-Chancellor or otherwise call for explanation from any teacher or officer or any other person connected with the University and after due consideration of the charges give such direction as he may think proper to which the Vice-Chancellor, the Executive Council and the Academic Council, as the case may be, shall comply within the period specified.

- (4) The Chancellor may, by order in writing, annul any proceeding of the University which is not in conformity with the Act, the Statutes, the Ordinances or the Regulations, or for which there is no sufficient justification:

Provided that before making any such order, he shall call upon the University to show cause within the period specified by him why such order should not be made, and, if any cause is shown within the said period, he shall consider the same before issuing any direction.

- (5) The Chancellor may withdraw or rescind any order passed by him if he considers such withdrawal or rescission is proper in the eye of law or finds on the basis of records his previous order to be incorrect.
- (6) Every proposal for the conferment of an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.
- (7) Where power is conferred upon the Chancellor by this Act or the Statutes to nominate person(s) to authorities and bodies of the University the Chancellor shall, to the extent necessary and without prejudice to such powers, nominate person(s) to represent interests not otherwise adequately represented.
- (8) Notwithstanding anything contained in this section, the Chancellor may appoint any person, as he deems fit, as Officer-on-Special Duty (OSD) of the University established under this Act and the person so appointed shall hold office for such period, not exceeding two years, and subject to such terms and conditions as the Chancellor may fix in that behalf.
- (9) The Chancellor shall have such other powers as are conferred on him by this Act or the Statutes.

11. The Vice-Chancellor—

- (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University, the Chairman of the Executive Council and the Academic Council. He shall be entitled to be present and speak at any meeting of any authority or body of the University and shall, in the absence of the Chancellor, preside at any convocation of the University.

Provided that the Vice-Chancellor shall not vote in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes.

- (2) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University and shall receive pay and allowances as determined by the State Government under the Statutes.
- (3) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he assumes charge of the office. On the expiry of the said term he may be re-appointed for another terms not exceeding three years.

(4) Selection of the Vice Chancellor-

Persons of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment are to be appointed as Vice-Chancellors of the University. The Vice-Chancellor to be appointed should be a distinguished academician, with a minimum of ten years of experience as Professor in a University system or ten years of experience in an equivalent position in a reputed research and / or academic administrative organization. Further, it would be desirable that the person has adequate administrative experience either at the Government or at the University level.

The selection of Vice-Chancellor shall be done by a properly constituted Search Committee, consisting of five persons from amongst the applications received after notification of the vacancy of the Vice chancellor through public notification published in prominent newspapers, and from amongst nominations received for the post from eminent persons. The Search Committee shall be constituted as prescribed herein below.

The members of the Search Committee must be persons of eminence in the sphere of higher education or its governance and shall not be connected in any manner with the University concerned. While preparing the panel, the search committee must give proper weightage to academic excellence, exposure to the higher education system in the country and abroad, and adequate experience to the person in academic and administrative governance. The Search Committee shall give its recommendation alongwith a panel of 3-5 names to be submitted to the Chancellor in writing. The names recommended must not be accused in any criminal case and must be persons of high integrity, clean character moral aptitude.

(5) Following shall be the constitution of the Search Committee-

A member nominated by the Chancellor, who shall be an eminent Scholar / Academician of national repute or a recipient of Padma Awards in the field of education who shall be the Chairman of the Committee.

The Director or Head of an institute or organization of national repute, such as, Indian Institute of Technology, Indian Institute of Science, Indian Space Research Organization, National Law University or National Research Laboratory or Vice-Chancellor of a statutory University nominated by the Chancellor as Member.

The senior most Serving Vice Chancellor of the State University of the State of Jharkhand to be nominated by the Chancellor as member.

The Vice Chancellor of the Indira Gandhi National Open University and in case of his unavailability, Vice Chancellor of any State Open University other than the Jharkhand State Open University to be nominated by the Chancellor as member, and

The Serving Principal Secretary of the **Department of Higher Education** as member to be nominated by State Government.

- (6) Four members, including the Chairman, shall constitute the quorum.
- (7) The business of the Committee shall be conducted in such manner as may be prescribed, from time to time, by the Chancellor on that behalf,
- (8) The Committee constituted under sub-section (5) shall within a reasonable time, not exceeding 3 months in any case, select suitable persons whom it considers fit for being appointed as Vice-Chancellor and shall recommend to the Chancellor the names of the persons so selected together with such other particulars, if any
 Provided that the Committee shall not select any such persons who if appointed as Vice-Chancellor would cease to hold that office on account of attaining the age of seventy years before completion of the term of three years.
- (9) The Search Committee shall submit a panel of 3-5 eminent persons for the appointment to the post of Vice Chancellor:
 Provided that if the Chancellor does not approve the recommendations of the Search Committee, he may constitute a fresh Selection Committee and call for fresh recommendations from the search committee.
- (10) The panel recommended by the Search Committee shall remain in force for one year to meet out the eventualities like the incumbent person appointed in consultation with the State Government, at the first instance not joining the post or vacation of post of Vice-Chancellor on account of death, resignation or removal of the Vice-Chancellor under the provisions of this Act within one year, the Chancellor shall appoint the next Vice-Chancellor from the said panel in consultation with the State Government.
- (11) **Appointment of the Vice Chancellor-**
- (i) Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor, out of the panel of 3-5 eminent persons recommended by the Search Committee, in consultation with the State Government from amongst persons having qualifications as mentioned in sub-section (4) (i).
- (ii) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date he assumes office as such and he shall be eligible for re appointment to that office for a further term.

Provided that no person shall be appointed as Vice-Chancellor for more than two terms.

Provided further that no person appointed as Vice-Chancellor shall continue to hold office as such after he attains the age of seventy years.

- (iii) The Chancellor may, from time to time, extend the term of office of the Vice-Chancellor for a total period not exceeding six months without following the procedure laid down in subsection 4(2).
- (12) **Emolument of the Vice Chancellor**-The emoluments to be paid to the Vice-Chancellor, and the terms and conditions, subject to which he shall hold office, shall be such as may be prescribed by the Statutes.
- (13) **Arrangement of work during temporary absence of the Vice Chancellor**- During the temporary absence of the Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any other cause, it shall be lawful for the Pro-Vice-Chancellor to exercise the powers and perform the duties of the Vice-Chancellor, and the matter shall be immediately reported to the Chancellor by the Registrar and if, in the opinion of the Chancellor, the temporary absence of the Vice-Chancellor is for a long period, the Chancellor may make such other arrangement as he thinks fit for carrying on the office of the Vice-Chancellor.
- (14) **Powers and duties of the Vice-Chancellor**-
The powers and duties of the Vice-Chancellor shall be as follows:-
- (i) The executive authority of the University shall vest in the Vice-Chancellor.
- (ii) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and the academic officer of the University and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of universities.
- (iii) Subject to availability of funds in the budget, the Vice-Chancellor shall have the power to sanction, after obtaining the opinion of the Finance Officer/Manager, expenditure up to such sum as may be prescribed during the course of a financial year and shall make a report of all such expenditure to the Executive Committee at the earliest.
- (iv) If in the opinion of the Vice-Chancellor it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other officer or authority by or under this Act, he may take such action, as he deems necessary, and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter;

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final;

Provided further that where any such action taken by the Vice-Chancellor affect any person in the service of the University, such person shall be entitled to prefer, within three months from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Chancellor and the decision of the Chancellor shall be communicated to the person concerned within three months from the date of appeal.

Provided further that if the matter involves any financial transaction, the Vice-Chancellor shall, before passing such order or taking such decision, obtain the opinion of the Finance Officer/Manager.

- (v) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by this Act, the Statutes, the Regulations or the Rules.
- (vi) If in the opinion of the Vice-Chancellor any decision of any officer or authority of the University is beyond the powers conferred by the provisions of this Act or Statutes, Ordinances, regulations or rules made thereunder or is not in the interest of the University, he shall request the concerned officer or authority to review its decision within fifteen days from such decision and in case the authority refuses to review such decision either in whole or in part or fails to take any decision within the said period, such matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Provided that the decision of the officer or authority concerned shall remain suspended during the period of review of such decision by the officer or the authority or the Chancellor, as the case may be, under this subsection.

- (vii) The Vice-Chancellor shall review the performance of teachers and officers of the University annually and submit a report thereon to the Chancellor in the manner prescribed.
- (viii) The Vice-Chancellor shall have power, —
 - (a) to require the teachers of the University or Regional Centres of the University to report to him about the conduct of University examination, and
 - (b) to give such directions to the officers in charge of such examinations as he deems necessary.
- (ix) The Vice-Chancellor shall ensure that the provisions of the Act, the Statutes, Ordinances, regulations and rules are observed.
- (x) The Vice-Chancellor shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinance, made thereunder, have power to make appointment to posts within the sanctioned grades and scales of pay and within the sanctioned strength of the ministerial staff and other servants of the University, not being teachers and officers of the University and have control and full disciplinary powers over such staff and servants.

The appointment process for these posts shall be completely transparent. The advertisement for the appointment of these posts shall be advertised in leading newspapers. The current reservation policy of the State Government shall strictly be followed as per roster in the appointment of these posts. All these appointments shall be prominently displayed on the home page of the website of the University.

- (xi) The Vice-Chancellor shall have power to convene meetings of the Executive Council, its Committees and Sub-Committees, Academic Council and any other authorities of the University. He shall be *ex-officio* Chairman of those meetings

provided that he may on account of his unavailability delegate the power under this sub-section to any other officer of the University.

- (xii) The Vice-Chancellor shall have the right to visit and inspect the study centres and buildings, laboratories, workshops and equipments thereof and any other institution associated with the University.
- (xiii) Save as otherwise provided in the Ordinance or the Statutes, the Vice-Chancellor shall appoint officers other than the Pro- Vice-Chancellor, with the approval of the Chancellor, and teachers and shall define their duties.
- (xiv) (a) Subject to the provisions of this Act it shall be the duty of the Vice-Chancellor to see whether the proceedings of the University are carried out in accordance with the provisions of this Act, the Statutes, the Ordinances, the Regulations and the Rules or not, and the Vice-Chancellor shall report to the Chancellor every such proceeding which is not in conformity with such provisions.
(b) Till such time as the orders of the Chancellor are not received on the report of the Vice-Chancellor that the proceeding of the University is not in accordance with this Act, the Statutes, the Ordinances, the Regulations and the Rules, the Vice-Chancellor shall have the powers to stay the proceeding reported against.
- (xv) The Vice-Chancellor shall have power to take disciplinary action against all employees of the University including officers (other than the Pro-Vice-Chancellor and Registrar) and teachers of the University.
- (xvi) An appeal shall lie to the Chancellor against the order of the Vice-Chancellor imposing the penalty of dismissal, removal from service or reduction in rank.

12. Removal of the Vice Chancellor-

- (1) If at any time and after such enquiry as may be considered necessary, it appears to the Chancellor that the Vice-Chancellor—
 - (i) has failed to discharge any duty imposed upon him, by or under this Act, the Statutes, the Ordinance, or
 - (ii) has acted in a manner prejudicial to the interests of the University, or
 - (iii) has been incapable of managing the affairs of the University,
The Chancellor may, in consultation with the State Government, notwithstanding the fact that the term of office of the Vice- Chancellor has not expired, by an order in writing stating the reasons therein require the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order.
- (2) No order under sub-section (1) shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken are communicated to the Vice-Chancellor and he is given reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

- (3) As from the date specified under sub-section (1) the Vice Chancellor shall be deemed to have relinquished the office and the office of the Vice Chancellor vacant from the said date.

13. The Pro Vice Chancellor-

- (1) The Pro Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government and the Vice Chancellor of the University in the same manner as prescribed for appointment of Vice-Chancellor.
- (2) A Pro-Vice-Chancellor shall be the whole time Officer of the University. He/she shall hold office, on such conditions as may be determined by the Chancellor in consultation with the State Government, for a period not exceeding three years.
- (3) The Pro Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date he/she assumes office as such and he/she shall be eligible for re appointment to that office for another term.

Provided that no person shall be appointed as Pro Vice Chancellor for more than two terms.

Provided further that no person appointed as Pro Vice-Chancellor shall continue to hold office as such after he attains the age of seventy years.

- (4) Subject to the provisions of this Act, the Pro-Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed or as may be conferred or imposed on him, from time to time, by the Vice-Chancellor.

14. The Directors of Schools-

- (1) Each School shall be headed by a Director of School and every such Director shall be appointed in such manner and on such emolument and other conditions of service and shall exercise such powers and perform such duties and functions as may be prescribed by the Statutes.

- (2) Every Director of School shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of :-

- (i) the Vice-Chancellor, in case the candidate to be appointed is already a teacher of the University;

Provided that a Director of a School shall be appointed from amongst the Professors (by rotation) of the School by the Executive Council on the recommendations of the Vice-Chancellor and in case there is only one Professor or no Professor available/eligible in the University, the senior-most teacher at the level of Associate Professor in the University shall be given the charge of the Director by rotation;

- (ii) on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose as per the qualifications prescribed by the Statutes in each case.
- (3) A Director shall hold office for a period of three years and that he shall be eligible for re-appointment.
- (4) Every Director shall be whole-time salaried officer of the University;

Provided that one of Directors shall be in charge of the administrative affairs of the teachers.

- (5) The emoluments and other conditions of service of the Director shall be prescribed by the Statutes.

Provided that a Director shall retire on attaining the age of sixty five years.

- (6) A Director shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the Statutes.

15. **The Director of Centre for Internal Quality Assurance**-Centre for Internal Quality Assurance (CIQA) shall be headed by a full-time Director, being a senior academician of the rank of a Professor and such Director shall be appointed in such manner and on such emolument and other conditions of service and shall exercise such powers and perform such duties and functions as may be prescribed by the Statutes.

16. **The Registrar-**

- (1) The Registrar shall be a whole time Officer and shall be appointed in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed by the Statutes.

- (2) The Registrar shall be appointed (Direct Recruitment) from amongst persons having qualifications as mentioned below:

- (i) Master degree with at-least 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scales in any discipline from a recognized University/Institute.
 (ii) At least 15 years of experience as Assistant Professor/Lecturer or six years' experience as Associate Professor or Reader or as Professor along with experience in educational administration/ Directorate.

Or

- (iii) Comparable experience in research establishment and / or other institutions of higher education.

Or

- (iv) At least 15 years of administrative and teaching or administration experience of which 8 years as Deputy Registrar or an equivalent post.

- (3) The emoluments to be paid to the Registrar and the terms and conditions of his service shall be such as may be prescribed by the Statutes but his emoluments shall be in no case less than that of a Professor of the University, and he-

- (1) shall act as Secretary to the Executive Council and the Academic Council;
 (2) shall manage the property and the investments of the University;
 (3) shall sign all contracts made on behalf of the University;
 (4) shall exercise and perform such other powers and duties as may be prescribed by the Statutes, the Ordinances, or the Regulations and the Rules as may, from time to time, be framed, conferred and imposed on him by the Executive Council and the Academic Council;

- (5) Ensure that all money are utilised for the purpose for which the funds are granted or allotted by the appropriate authority;
 - (6) All suits or other legal proceedings by or against the University shall be instituted by or against the Registrar, and
 - (7) shall generally render such assistance to the Vice-Chancellor as may be desired by him in the performance of his duties.
- (4) The Chancellor shall be empowered to make necessary arrangements for discharging the functions of Registrar if that position falls suddenly vacant due to resignation, retirement, death or any other reason till regular appointment is made.
 - (5) Notwithstanding anything contained in this Act or the Statutes the Chancellor may, if he thinks proper, appoint on Contract basis qualified person having not less than 15 years of experience in an open University of the State or Central Government, as a Registrar in a serving or retired capacity on such terms and conditions as may be prescribed by the Chancellor.

Provided that arrangement made under sub section (5) may be for a period not exceeding two years. On the expiry of the said term he may be re-appointed for another term not exceeding one year.

Provided further that no person appointed as Registrar under sub-section (5) shall continue to hold office as such after he attains the age of 70 years.

17. **The Registrar (Examination)-**

- (1) The Registrar (Examination) shall be appointed by the Chancellor in the same manner as prescribed for appointment of Registrar.
- (2) The Registrar (Examination) a whole time Officer of the University shall be in-charge of conduct of examination of the University and matters relating thereto and shall act as Secretary to the Examination Board and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes, the Ordinances, the Regulations and the Rules or as may, from time to time, be conferred or imposed on him, by the Vice-Chancellor.
- (3) The Registrar (Examination) shall be responsible for the preparation of question papers, fixation of time Schedule for the examination, evaluation of answer books etc, publication of results, issue of certificates and all such other works related to examinations.

18. **The Finance Officer/Manager-**

- (1) The Finance Officer/Manager shall be a whole time Officer of the University and shall be appointed by the Chancellor.
- (2) The emoluments and other conditions of service of the Finance Officer shall be prescribed by the Statutes:
- (3) The Finance Officer/Manager shall act as Secretary to the Finance Committee and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes, the Ordinances, the Regulations and the Rules, or as may from time to time, be conferred or imposed on him by the Executive Council or the Vice-Chancellor.

- (4) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer by reason of ill health, absence or any other cause is unable to perform his functions as Finance Officer, his functions shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose with the approval of the Chancellor.
- (5) Subject to the control of the Vice-Chancellor and the Executive Council, the Finance Officer shall:
- (i) hold and manage the properties and investments of the University, including trust and immovable properties for fulfilling any of the objects of the University;
 - (ii) ensure that the limits fixed by the Finance Committee for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and the money is expended or spent for the purposes for which it was granted or allotted;
 - (iii) be responsible for the preparation of the Annual Accounts and the budget of the University and for their presentation to the Executive Council after they have been considered by the Finance Committee;
 - (iv) keep a constant watch on the cash and bank balances and investments;
 - (v) watch the progress of collection of revenue and advise on the methods of collection employed;
 - (vi) ensure that the registers of properties of the University are maintained properly and that stock checking is conducted of equipments and other materials in the offices of the University, including Regional Centres, Study Centres and other institutions maintained by the University;
 - (vii) bring to the notice of the Vice-Chancellor any unauthorised expenditure or other financial irregularities and suggest appropriate action against persons at fault;
 - (viii) call from any office of the University, including Regional Centres, Study Centres and other institutions maintained by the University, any information or reports that he may consider necessary to look into propriety of the money expended.
- (6) Any receipt given by the Finance Officer or by the person or persons duly authorised in this behalf by the Executive council shall be a sufficient discharge for payment of moneys to the University.

19. The Manager (I.T.) –

- (1) The Manager (IT) shall be a whole time Officer of the University and shall be appointed by the Vice Chancellor with the approval of the Chancellor.
- (2) The emoluments and other conditions of service of the Manager(IT) shall be prescribed by the Statutes:
- (3) The Manager(IT) shall act as In charge of the Computer Cell, and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes, the Ordinances, the Regulations and the Rules, or as are conferred or imposed on him from time to time by the Executive Council, the Vice-Chancellor, or the Registrar.

CHAPTER-4**Authorities of the University**

- 20. Authorities of the University**— The following shall be the authorities of the University, **namely**:-
- (i) The Executive Council;
 - (ii) The Academic Council;
 - (iii) The Planning Board
 - (iv) The School of Studies;
 - (v) The Examination Board;
 - (vi) The Finance Committee; and
 - (vii) Such other authorities as may be declared to be the authorities of the University by the Statutes.
- 21. The Executive Council-**
- (1) The Executive Council shall be the Chief Executive body of the University and shall consist of the following persons, **namely**:-

Ex-officio Members

- (i) The Vice-Chancellor,
- (ii) The Pro-Vice-Chancellor,
- (iii) The Director, Higher Education, Jharkhand.

Other Members

- (iv) Two Vice-Chancellors to be nominated by the Chancellor from the list given below for a period of one year on rotation basis:-

(Name of the University in alphabetical order)

- a. Baba Baidya Nath Dham Sanskrit University, Deoghar
- b. Binod Bihari Mahto Koylanchal University, Dhanbad.
- c. Dr. Shyama Prasad Mukerjee University, Ranchi.
- d. Jamshedpur Women University, Jamshedpur.
- e. Jharkhand Raksha Shakti University, Ranchi.
- f. Jharkhand University of Technology, Ranchi.
- g. Kolhan University, Chaibasa.
- h. Nilamber Pitamber University, Medninagar, Palamu.
- i. Ranchi University, Ranchi
- j. Sido Kanhu Murmu University, Dumka.
- k. Vinoba Bhave University, Hazaribagh

- (v) Two Director of Schools of Studies, as may be prescribed by the Statutes, by rotation for a period of one year from the date of nomination.
- (vi) Two from amongst the Professors and Associate Professors of the University, other than Director of the Schools and two such Assistant Professor who have teaching experience of at least ten years shall be nominated by the Chancellor.
- (vii) One person reputed for his scholarship and academic interest to be nominated by the Chancellor.
- (viii) In case none of the members from clauses (i) to (vii) above belongs to the Scheduled Caste or Scheduled tribe, the Chancellor may nominate a person belonging to Scheduled caste or Scheduled tribe, who, in his opinion is interested in the cause of education, to be member of the Executive Council for a period not exceeding three years but if during the said period of three years a person belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe becomes a member under any of the clauses (i) to (vii) the person nominated under this clause shall automatically cease to be a member of the Executive Council with immediate effect.

Provided that until appointments are made so as to fill up the seats specified in clauses (v) and (vi) the Chancellor shall nominate the teachers from other Universities in the State, who are not below the rank of Professors, to be the members of the Executive Council against those seats.

(2) **Powers and duties of the Executive Council-**

The Executive Council:-

- (i) shall hold, control and manage the property and funds (together with endowments, bequests and donations) of the University, its Regional and Study Centre and other transfers of property made to the University;
- (ii) shall regulate the form, provide for the custody and regulate the use of the common seal of the University;
- (iii) shall, subject to the powers conferred by or under this Act on the Vice-Chancellor and the Academic Council, determine and regulate all matters concerning the University in accordance with the Ordinance, the Statutes, and the Regulations;
- (iv) shall manage funds placed at the disposal of the University for specific purposes;
- (v) shall have power to accept transfers on behalf of the University of any movable or immovable property to and for the benefit of the University or a Study centre;
- (vi) shall make the Statutes and the Ordinances, and shall also amend or suggest to repeal any of the Statutes etc to the Chancellor for his approval;
- (vii) shall make the Regulations, and suggested amendment or repeal thereto, to the Chancellor for his approval;
- (viii) shall pass resolution after having considered the annual report, the annual account, the budget estimates and audit report on such accounts;

- (ix) shall exercise the powers for the purpose of control in Regional and Study centres, including their superintendence and recognition and de-recognition of Study centres;
 - (x) shall institute and confer such degrees, titles, diplomas and other academic distinctions as may be prescribed by the Statutes; and
 - (xi) shall exercise such other powers and perform such other duties as are conferred or imposed on it by the Ordinance or the Statutes.
- (3) **Terms of office of the Members of the Executive Council—**

Save as otherwise provided under this Act, the terms of office of members, other than *ex-officio* members of the Executive Council, shall be of three years from the date of their election or nomination as the case may be and shall include any further period which may elapse between the expiration of the said three years and the date of the next succeeding election or nomination not being an election or nomination to fill up any casual vacancy:

Provided that a member elected or nominated as a representative of any body shall be deemed to have vacated office with effect from the date on which he ceases to be a member of the body which elected or nominated him

22. The Academic Council-

- (1) The Academic Council shall consist of-

Ex-officio Members

- (i) The Vice-Chancellor;
- (ii) The Pro-Vice-Chancellor;
- (iii) The Director, Higher Education, Jharkhand;
- (iv) All Directors of Schools of Studies

Other Members

- (v) other than Director, Professors and Coordinators, who shall in the manner prescribed by the Statutes, be elected by the teachers of the University in such a manner that each School may get representation;
- (vi) not more than two experts from outside the University service, to be co-opted by the Academic Council for specific purposes according to need:

Provided that until appointments are made so as to fill up the seats specified in clauses (iv) and (v), the Chancellor shall nominate such number of teachers from other Universities in the State as he may think fit, not below the rank of Professor, to be members of the Academic Council.

- (2) The terms of office of members, other than the *ex-officio* members, shall be for a period of three years with effect from the date of their respective election or nomination and

shall include any further period which may elapse between the expiration of the said period of three years and the date of the next succeeding election or nomination, as the case may be, not being an election or nomination to fill up any casual vacancy:

Provided that any member elected or nominated shall be deemed to vacate office with effect from the date on which he ceases to be a member of the body which elected or nominated him.

(3) **Powers and duties of the Academic Council-** The Academic Council shall be the chief academic and planning body of the University and shall:-

- (i) subject to the powers conferred by or under this Act on the Vice-Chancellor and on the Executive Council, determine and regulate all academic and planning matters concerning the University in accordance with this Act and the Statutes.
- (ii) have the powers of superintendence and control over and be responsible for the maintenance of standards of instruction and education through any means of communication, correspondence course, contact programme and the promotion of research work in the University;
- (iii) prepare and finalise plan and programme of development and improvements of the University, its Courses of Study, examination and evaluation including new methods of teaching and for consultation and exchange of information with similar organisations, other Universities and research institutes;
- (iv) exercise supervision and control over the conduct of teaching in the School and study centres in such manner as may be prescribed by the Statutes;
- (v) have powers of general control over the Examination Board, and may review the results of University Examinations; and
- (vi) exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.

23. **The Planning Board-**

- (1) Planning Board shall be the principal planning body of the University and shall also be responsible for the monitoring of the development of the University on the lines indicated in the objects of the University.
- (2) The Planning Board shall consist of the following:
 - (i) Vice-Chancellor;
 - (ii) Pro- Vice Chancellor;
 - (iii) Four persons to be nominated by the Vice-Chancellor from amongst the academic staff of the University;
 - (iv) Five persons, who are not employees of the University, to be nominated by the Chancellor, one each representing the following sectors:
 - a. Vocational/Technical Education;
 - b. Media/Communication;
 - c. Man power Planning;

- d. Agriculture/Rural Development and allied activities: and
 - e. Women's Studies.
- (v) Five persons, who are not employees of the University, to be nominated by the Executive Council, for their expertise, one each of the following areas of specialization:
- a. Management;
 - b. Learned Professions;
 - c. Education;
 - d. Distance Education; and
 - e. Commerce and Industry.
- (vi) Registrar (Examination) shall be a Member. – (Ex-Officio)
- (vii) Registrar shall be the Member Secretary of the Planning Board.

24. The Schools of Studies-

- (1) Subject to the provisions of clause (7) of sub-section (1) of section-5 there shall be such number of Schools of Studies as the University may, determine from time to time.
- (2) The constitution, powers and functions of the Schools of Studies shall be such as may be prescribed by the Statutes.

25. The Examination Board-

- (1) Subject to the provisions of the Regulations, the Examination Board shall advise in respect of conduct of examinations. It shall consist of the Vice-Chancellor as Chairman and Director of Schools as members and Registrar (Examination) as Secretary.
- (2) The Examination Board shall render advice to the Vice-Chancellor on conduct of examinations and appointments of examiners, setting and moderating of question papers, preparation, moderation and publication of examination results, submission of such examination results to the Academic Council, and generally regulating the methods of improvement in the procedure of correct evaluation of achievement of students. The Vice-Chancellor shall be competent to take final decision:

Provided that the Vice-Chancellor shall appoint the question setters and examiners from the panel of names submitted by the Examination Board.

26. The Finance Committee-

- (1) The Finance Committee shall consist of the Vice-Chancellor as the Chairman, the Pro-Vice-Chancellor, an Officer of the State Government not below the rank of a Joint Secretary to be nominated by the State Government the finance officer of the University and three such other members as are not members of the Executive Council, to be elected by and from amongst the teachers of the University in the manner prescribed by the Statutes:

Provided that until appointments of teachers are made, the Chancellor shall nominate one teacher and two Finance Officers from other Universities in the State to be the members of the Finance Committee. The teacher to be nominated must not be below the rank of Professor.

- (2) The term of office of members, other than the *ex-officio* members, shall be for a period of three years with effect from the respective dates of their election and shall include any further period which may elapse between the expiration of the said three years and the date of the next succeeding election not being an election to fill up any casual vacancy.
- (3) The Finance Committee shall-
- (i) advise the University on any question affecting its finances;
 - (ii) prepare the annual estimate of income and expenditure of the University including the estimates of the Schools of the University and of the Study Centres recognised by it;
 - (iii) subject to Statutes, it shall have power to scrutinise the estimates of the study centres;
 - (iv) subject to Statutes, have power to scrutinise every item of new expenditure not provided for in the Budget estimates of the University;
 - (v) be responsible for the strict observance of the Statutes relating to the maintenance of accounts of income and expenditure of the University; and
 - (vi) discharge such other functions of financial nature as may, from time to time be prescribed by the Statutes or entrusted to it by the Executive Council

27. Other authorities of the University- The constitution, powers and duties of such other authorities, as may be declared by the Statutes to be authorities of the University, shall be prescribed by the Statutes.

28. Holding of examination-

- (1) The examination of the University shall be held from such dates as may be prescribed in the Academic calendar approved by the Academic Council for each academic year.
- (2) Results of examinations shall be published within sixty days of the completion of the concerned examination, which may be extended to a period beyond sixty days for reasons to be recorded in writing.

Chapter-5

Statutes. Regulations, Ordinances and Rule

29. The Statutes- Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely —

- (1) the manner of appointment of the Vice-Chancellor, the term of his appointment, the emoluments and other conditions of his service and the powers and functions that may be exercised and performed by him;
- (2) the manner of appointment of the Pro-Vice-Chancellor, the term of his appointment, the emoluments and other conditions of his service and the powers and functions that may be exercised and performed by him;

- (3) the manner of appointment of Directors, Registrars, the Finance Officer/Manager, the Manager (IT) and other officers, the emoluments and other conditions of their service and the powers and functions that may be exercised and performed by each of the officers;
- (4) the manner of appointment of teachers and other employees of the University, their qualifications, the code of conduct and other conditions of service including the manner of termination of service and other disciplinary action;
- (5) the principles governing the seniority of service of the employees of the University;
- (6) the constitution of a pension, or provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of the teachers and employees of the University;
- (7) the procedure for constitution of different authorities of the University, the term of office of the members of such authorities, procedure for meeting of authorities and for the transaction of their business, and the powers and functions that may be exercised and performed by such authorities;
- (8) the number, qualification grade, pay, reservation of posts for scheduled castes and scheduled tribes, backward classes, economically backward classes and women and the creation of new posts after considering, as the case may be, the recommendations of the Academic Council and the Executive Council in the case of creation of other posts, and the recommendation of the Executive Council in the case of post of officers and employees of the University;
- (9) the procedure in relation to any appeal or application for review by any employee or student of the University against the action of any officer or authority of the University, including the time within which such appeal or application for review shall be preferred or made;
- (10) the procedure for the settlement of disputes between the employees or students of the University, and the University;
- (11) the acceptance and management of trusts, bequests, donations and endowments;
- (12) the institution of fellowships, scholarships, exhibitions, medals and prizes;
- (13) holding of convocations to confer degrees and conferment of honorary degrees
- (14) institution and maintenance by the University of the centres of research or specialised studies and post-graduate centres;
- (15) The recognition of educational institutions and establishment of Regional centres, study centres and withdrawal of recognition;
- (16) The institution of schools of studies and their constitution, powers and functions, maintenance and management;
- (17) registration of graduates and maintenance of list of registered graduates; and
- (18) all other matters which, by or under this Act, are to be, or may be prescribed by the Statutes

30. Statutes, how to be made-

- (1) The Executive Council may, either on its own motion or on submission by the Academic Council, make statutes or propose to amend or repeal them:
Provided that Executive Council shall not take up any such statutes as may affect the status, powers and constitution of any authority of the University unless that authority has been allowed an opportunity to furnish written opinion upon the proposed changes and the Executive Council shall have to consider such opinion expressed in writing.
- (2) If the draft of any statutes or a portion thereof after being presented by the Academic Council before the Executive Council is sent back to the Academic Council for reconsideration and the Academic Council does not agree, after reconsideration to the amendment suggested by the Executive Council, then it shall be lawful for the Executive Council to pass the statutes or a portion of the statutes in such form as it may deem appropriate and the decision of the Executive Council shall, subject to the provisions contained in sub-section (3) and sub-section (4) be final.
- (3) Where the draft of any statute has been passed by the Executive Council it shall be submitted to the Chancellor, who may after obtaining the advice of the Department of Higher Education, Government of Jharkhand, declare that he assents to the statute, with or without amendment or that he withholds assent therefrom. As there is no financial assistance from the State Government except of the seed money, the Department of Higher Education may take decision at its own level.
- (4) A statute passed by the Executive Council shall have no validity until it has been assented to by the Chancellor.

31. Ordinances-

- (1) The Executive Council may subject to the provision of this Act and Statutes, make Ordinances to provide for all or any of the following matters, namely:-
 - (i) the admission of students to the University, the courses of study and the fees therefore, the qualifications pertaining to degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the conditions for the grant of fellowships, awards and the like,
 - (ii) the conduct of examinations, including the terms and conditions for appointment of examiners and the general discipline of students;
 - (iii) fixation of examination fees and emoluments traveling and other allowances to be paid to the examiners, moderators and such other staff appointed for the examination work,
 - (iv) payment for teachers, lesson writers, evaluators and other academic staff appointed for organization and conducting refresher courses, counselling classes, workshop, seminars and other programmes;
 - (v) rates of remuneration to visiting professors, emeritus professors, consultants, fellows, scholars, artists, course writers;

- (vi) the conduct and discipline of the students and the action to be taken against them for breach of discipline or misconduct, with due regard to the Jharkhand Conduct of Examinations Act, 2001.
 - (vii) the conduct of examinations and other tests and the manner in which the candidate may be assessed or examined by the examiner.
 - (viii) the inspection of regional centres, study centres and recognized institution;
 - (ix) any other matter which by this Act or the Statutes, are to be, or may be provided for by the Ordinances
- (2) An Ordinance made by the Executive Council, under sub-section (1), shall be submitted as soon as possible to the Chancellor who shall after obtaining the advice of the Department of Higher Education, Government of Jharkhand, declare that he assents to the Ordinance with or without amendment or that he withholds his assent therefrom. As there is no financial assistance from the State Government except of the seed money, the Department of Higher Education may take decision at its own level.
- (3) An Ordinance shall have no validity until it has been assented to by the Chancellor.

32. Regulation, how to be made-

- (1) Subject to the provisions of this Act the Statutes and the Ordinances, Regulations may be made to provide for all or any of the following matters, namely:-
- (i) The courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;
 - (ii) The condition under which students shall be admitted to the degree or diploma or certificate course and to the examination of the University and shall be eligible for such degrees, diplomas and certificates;
 - (iii) The formation of programme in the school;
 - (iv) The conditions and mode of appointment and duties of paper setters and examiners and the conduct of examinations;
 - (v) The standard of courses to be maintained in the study centres; and
 - (vi) All matters which by this Ordinance, the Statutes or the Act are to be or may be provided for by Regulations.
- (2) (i) A Regulation made by the Academic Council under sub-section (1) shall be forwarded, as soon as may be, to the Executive Council for consideration and approval. Where the Executive Council wish to make any amendment it shall obtain the opinion of the Academic Council and shall consider the same.
- (ii) A regulation/statute/ordinance shall have effect from the date on which it is approved by the Chancellor, with or without amendment, after consultation with the Department of Higher Education, Government of Jharkhand or such other date as the Executive Council may decide.

33. Rules–

- (1) The authorities and the Boards of the University constituted either under this Act or under the Statutes made there under may make Rules consistent with the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations for the following matters, namely:-
 - (i) Laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum;
 - (ii) Laying down the procedure to be observed by committees subordinate to any such authorities and the Boards at their meetings and the number of members required to form a quorum;
 - (iii) Providing for all matters which by this Ordinance, the Statutes, the Act or the Regulations are to be prescribed by the Rules; and
 - (iv) Providing for all other matters exclusively concerning such authorities, Committees and Boards and not provided for by this Act, the Statutes, the Ordinances or the Regulations.
- (2) Every authority of the University may make Rules providing for the giving of notice to the members of such authority of the dates of meetings and of the business to be considered at meetings and for the keeping of a record of the proceedings of the meetings.
- (3) The Rules made under sub-sections (1) and (2) shall be submitted to the Executive Committee for approval which may approve the same with or without any amendment.

CHAPTER-6**The Annual Report, Finance and Accounts****34. Annual Report of the University–**

- (1) The annual report on the working of the University shall be prepared under the direction of the Vice-Chancellor and shall include the annual accounts of the University and the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects shall be submitted to the Executive Council on or before such date as may be prescribed by the Statutes and shall be considered by the Executive Council which may pass resolutions thereon for such action, if any, as may be specified in such resolutions :

Provided that no decision shall be taken on the annual accounts nor shall there be anything in the resolution on the annual report which may have the effect of anticipating the report of the auditors on the annual accounts.
- (2) The Executive Council shall also submit the annual report to the Chancellor along with its comments, if any.

35. The University Fund—

- (1) There shall be a Fund to be called the Jharkhand State Open University Fund and this fund shall vest in the University for the purposes of this Act, subject to the provision contained therein, and the following amounts shall be credited thereto, namely —
 - (i) The seed money contributed or granted to the University from Consolidated Fund of the State of Jharkhand by the State Government, for the purposes of the University and the money borrowed by the University for the purpose of carrying out the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances, Regulations and Rules made thereunder;
 - (ii) any contribution or grant by the Central Government, Distance Education Bureau, Industrial Undertakings, Corporations, Companies Associations, other bodies or local authorities;
 - (iii) All money received by and on behalf of the Study Centres and Schools established and maintained by the University including all sums paid to the University under any provision of this Act and the Statutes, Ordinances, Regulations and Rules made thereunder;
 - (iv) All interests and profits arising from endowments made to the University and all contributions, donations and subsidies received from any authority or private person;
 - (v) All fees payable and levied under this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder; and
 - (vi) All other sums received by the University, not included in clauses (a), (b), (c) (d) and (e).
- (2) The University fund shall be kept in such scheduled bank within the meaning of the Reserve Bank of India Act, 1934 (II of 1934), or invested in securities authorised by the Indian Trusts Act, 1882 (II of 1882).
- (3) The University may, from time to time establish such other funds in such name and for such specific purposes as may be decided by the Executive Council.
- (4) The funds and all moneys of the University shall be managed in such manners as may be prescribed by the Statutes.
- (5) The University with regard to the purpose and amount of loan may borrow any sum of money from any Nationalised Bank or Scheduled Bank or any other corporate body or any financial institution.

36. Contribution by Government to the University—

- (1) The State Government shall contribute a lump sum amount to the University fund as a seed money to help the University to establish itself, out of the consolidated fund of the Jharkhand State.

- (2) The University shall bear the expenses of a recurring nature (salary and other establishment expenses) out of its own fund and shall not be entitled to any recurring grant from the State Government.

37. Objects to which the University Fund may be applied- The University Fund shall be applicable to the following objects :-

- (i) to the repayment of debts incurred by the University for the purposes of this Act and the Statutes, the Ordinances, the Regulations and the Rules made thereunder;
- (ii) to the upkeep of the Schools, the Regional Centres, Study Centres etc established by the University;
- (iii) to the payment of the salaries and advances of officers, teachers and other employees of the University, and of any Provident Fund contributions or pension or gratuity to any such officers, teachers and other employees;
- (iv) to the payment of the travelling and other allowances of the members of the Executive Council, the Academic Council and any other authorities of the University or the members of any Committee or Boards appointed in pursuance of any provisions of this Act and the Statutes, the Regulations and the Rules made thereunder;
- (v) to the making of grants to the study centres and other institutions;
- (vi) to the payment of the cost of audit of the University Fund and of the cost of audit of the accounts of any department or study centre;
- (vii) to the payment of expenses of any suit or proceeding to which the University is a party;
- (viii) to the payment of any expense incurred by the University in carrying out the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances, the Regulations and the Rules made thereunder; and
- (ix) to the payment of any other expense, though not specified in any of the preceding clauses, but declared by the Executive Council to be the expense for the purpose of the University.

38. Annual Financial Estimates-

- (1) The Director of every school, Director of every Regional Centre and Coordinator of every Study Centre shall, if required to do so, prepare in the prescribed form an estimate of its probable income and expenditure for the next ensuing financial year and the same shall be considered and sanctioned by the Executive Council either without alteration or with such alterations as it thinks fit.
- (2) On receipt of the estimate under sub-section (1), the annual financial estimates of the University for any Financial Year shall be prepared under the direction of the Executive Council by the Finance Committee at least five months before the commencement of the next financial year.
- (3) The Finance Committee shall prepare the financial estimate of receipts and expenditure of the University in such manner as may be prescribed by the Statutes.

- (4) Every estimate prepared under sub-section (2) shall in accordance with the directions given by the Vice Chancellor, make provisions for the due fulfilment of all the liabilities of the University, including the allotment of grants to the Schools, Regional Centres and Study Centres and for the efficient administration of this Act and the Statutes, the Ordinances, the Regulations and the Rules made thereunder.
- (5) The financial estimates shall be submitted to the Executive Council for its approval
- (6) The Executive Council shall consider the estimates so prepared and approve them with or without modification.
- (7) The University shall submit such estimates as approved by the Executive Council.
- (8) The Executive Council may, in urgent cases where expenditure in excess of the amounts provided for in the budget is found to be necessary, for reasons to be recorded in writing, incur such expenditure.
- (9) The financial year of the University shall be the same as that of the Government.

39. The Budget-

- (1) Notwithstanding anything contained in this Act or in Statutes, Ordinances, or Regulations made thereunder, the University shall send the budget for the ensuing financial year to the State Government at least two months before the end of the current financial year. The University shall show therein the estimates of receipts and disbursements for the ensuing year. The State Government may issue necessary direction as it may deem fit.
- (2) The University shall send a supplementary budget to the State Government at any time during the current financial year and the State Government may issue necessary direction as it may deem fit.

40. Restriction on expenditure not included in the Budget-

- (1) No sum shall be spent by or on behalf of the University unless the expenditure thereof is included in the current budget estimates or can be met by re-appropriation or by drawing upon the closing balance.
- (2) The closing balance shall not be reduced below such amount as may be prescribed by the Statutes.

41. Annual Accounts and Audit-

- (1) The annual statement of accounts of the University for a Financial Year shall be prepared under the directions of the Executive Council within a period of three months, after the close of the financial year.
- (2) The annual accounts as approved by the Executive Council shall be audited by auditors appointed by the State Government or Accountant General, Jharkhand.
- (3) The annual accounts, as approved by the Executive Council together with the copy of the audit report and a copy of the statement showing the action taken by the University on the objections and points raised by the Auditor in his previous reports, shall be forwarded by the Executive Council as soon as possible and in any case, within the

period of nine months from the end of financial year to the Chancellor and to the Auditor appointed.

- (4) It shall be competent for the Chancellor to give directions to the University, regarding the manner in which the accounts relating to certain specific activities or schemes shall be maintained or to take necessary action against the authority, the officer or any employee of the University found guilty in the audit report for committing irregularities and the University shall act according to the directions of the Chancellor.

42. Power of the State Government to have accounts of the University audited- The State Government may, if it considers necessary, cause the accounts of the University or any Study Centre, Regional Centre to be audited by such agency as it thinks fit and on receipt of the audit report, it may, after calling for a report from the University or Study Centre on the points realised therein and after considering the same, issue such directions as it thinks fit and thereupon the University or the study centre, as the case may be, shall comply with such directions within the time specified therein.

43. No post shall be created without prior sanction of the State Government- Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall not, except with the prior approval of the State Government-

- (1) create any teaching or non-teaching post involving financial liability;
- (2) sanction any special pay or allowance or other remuneration of any kind including *ex-gratia* payment or any other-benefit having financial implication to any person holding a teaching or non-teaching post;
- (3) revise the pay, allowances. post-retirement benefits and other benefits having financial implications offered to its officers, teachers and other employees

CHAPTER-7

Miscellaneous

44. Inspection of Regional and Study Centres–

- (1) Every Regional and Study Centre shall furnish such reports, returns and other information as the Executive Council, after consulting the Academic Council may require, to enable it to evaluate the efficiency of the Regional and Study Centre.
- (2) The Executive Council shall cause every such Regional and Study Centre to be inspected from time to time.
- (3) The Executive Council may call upon any Regional and Study Centre so inspected to take, within a specified period, such action as may appear to it to be necessary in respect of any of the matters specified in any Statutes.

45. Appointment to the posts of teachers and officers–

- (1) Teachers and Officers (other than those appointed by the Chancellor) shall be appointed in such manner, and on such emoluments and other conditions of service, as may be prescribed by the Statutes.

- (2) The appointment of Teachers and Officers (other than those appointed by the Chancellor) shall be made by the Executive Council on the recommendation of the University Selection Committee.
- (3) In matters pertaining to the appointment to the posts of teachers and officers (other than those appointed by the Chancellor), the extant UGC regulations shall be applicable ipso facto.
- (4) The number of full time teachers, academics and other administrative and technical staff shall be provided, keeping in view the type of programme offered as per guidelines issued by UGC from time to time.

46. Conditions of appointment—

- (1) Subject to the approval of the Executive Council, the matter relating to appointment, dismissal, compulsory retirement, removal from service, termination of service or reduction in rank of teachers of the University shall be disposed of after obtaining the advice of the University Selection Committee in the manner as may be prescribed by the Statutes framed under this Act.

Provided that consultation with the selection Committee shall not be necessary in a case where the order involved is only of censure, stoppage of increment, stoppage at the stage of crossing of efficiency bar, or a suspension order till the investigation of allegations against a teacher or officer is completed.

- (2) Other service conditions along with disciplinary action of Teachers and Officers of University shall be guided by the statutes framed under this Act.
- (3) The University Selection Committee shall recommend two names for each post in order of merit. The recommendations of the Selection Committee shall be valid for one year from the date they are made.
- (4) The Executive Council shall, in making appointments, appoint persons in order of merit assigned by the selection committee within a period of three months from the date of receipt of recommendations by the Executive Council.
- (5) If the Executive Council is unable to accept the recommendation of the Selection Committee or to make appointment in the order of merit given by the Commission, it shall record the reasons therein and submit the case to the Chancellor whose decision shall be final.
- (6) Experts to assist the Selection Committee in the appointment of teachers or officers of the University shall be nominated by the Chancellor from the panel prepared by the Department of Higher Education.

47. Promotion of Teachers- The promotion of Assistant Professors / Associate Professors / Professors in the University shall be governed by the Norms / Regulations prescribed by the University Grants Commission as amended from time to time and accepted by the State Government.

48. Appointment on Temporary Post- Initially in order to establish the Jharkhand State Open University, the specialist and professional manpower shall be appointed on contract or deputation basis for a maximum period of 3 years and after the expiry of the said period these posts shall come to an end.

- 49. Qualification for enrolment as students of the University-** No student shall be enrolled as a student of the University unless he/she has passed the Secondary School Examination or any other equivalent examination held by the University or any other University or-body incorporate by any law for the time being in force and recognised by the University:
 Provided that students having passed the Higher Secondary or Pre-University Examination shall continue to be enrolled in the manner as prescribed in the Ordinance and Regulations.
- 50. Appointment of the Commission-**
- (1) The State Government may at any time, by an order published in the Official Gazette, constitute a Commission
 - (2) The Commission constituted under sub-section (1) shall inquire into and report on the following:-
 - (i) the working of the University;
 - (ii) the financial condition of the University, its Regional Centre, Study Centres and other academic institutions;
 - (iii) any change to be made in the provisions of the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations with a view to bringing about improvements;
 - (iv) Such other matters as may be referred to it by the State Government
 - (3) On receipt of the recommendations under sub-section (2) the State Government may send the same to the appropriate authority of the University for consideration and report thereon and on receipt of its report, may pass such orders thereon as it may consider fit. It shall cause the said order to be published in the official Gazette. Thereupon the University shall comply with the order within such time as may be specified by the State Government.
- 51. Disputes as to constitution of University authorities and bodies—**
- (1) Where any question arises as to
 - (i) The interpretation of any provision of this Act or any Statutes, Ordinances, Regulations or Rules, or
 - (ii) Whether any person has been duly elected/appointed, or is entitled to be a member of any authority of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.
 - (2) Any nominee or ex-officio member appointed by any authority or body of the University shall be deemed to have vacated his office, whenever his nomination or appointment is cancelled by the authority concerned or he ceases to hold office by virtue of which he has been a member of the authority or body of the University.
- 52. Filling of vacancies-** All vacancies among the members (other than *ex-officio* members) of any authority or body of the University by reason of death, resignation or otherwise shall be filled, as soon as conveniently may be by the person or body who appointed, nominated, elected or co-opted the member whose place has become vacant, and the person so appointed,

nominated, elected or co-opted shall be a member of such authority or body for the unexpired period of the prescribed term:

Provided that pending the filing up of such vacancies by appointment, nomination or election in the manner aforesaid, the vacancies may, if the authority or body of the University so decides, be filled by the co-option of any person qualified to fill such vacancy under the provisions of this Act and any person so co-opted shall hold office as a member of such authority or body until a person is appointed, nominated or elected thereto in accordance with the provisions of this Act

53. Proceedings of University authorities and bodies not to be invalidated due to vacancies- No act or proceeding of any authority or other body of the University shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

54. Conditions of service of Employees—

- (1) The service conditions of employees of the University, including disciplinary action, shall be prescribed by the Statutes.
- (2) Every salaried employee of University shall be appointed under a written contract and such contract shall not be inconsistent with the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances.
- (3) The contract referred to in sub-section (2) shall be lodged with the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned.

55. Retirement from service—

- (1) Save as otherwise expressly provided in this Act. –
 - (i) the date of retirement of teaching employees shall be the date on which they attain the age of sixty five years;
 - (ii) the date of retirement all other employees not included in sub-section (1) (i) above, shall be the date on which they attain the age of sixty years;
 - (iii) if an employee of another University of this State, who under the Act of that University, is to retire on attaining the age of sixty-two years, joins the service of this University before the date of his retirement, such an employee shall retire on the date on which he attains the age of sixty-two years:

Provided that a teaching or non-teaching employee whose date of retirement falls on the first day of a month will retire from service from the afternoon of the last date of the preceding month and if the date of retirement falls on any other date of the month, he will retire in the afternoon of the last date of that month:

- (2) The University may require any teaching or non-teaching employee, who, reckoned from the date of his first appointment has completed the qualifying service of 23 years or a total service of 27 years, to retire from the University service, if it considers that his conduct or efficiency is such as does not justify his continuation in the service.
- (3) (i) Notwithstanding anything contained in the preceding sub-sections, any teaching or non-teaching employee may, after giving at least three months prior notice in writing, to the concerned appointing authority, retire from such date on which such a teaching or non-teaching employee has completed 32 years of qualifying

service or has attained 52 years of age, or from such date thereafter as may be specified in the notice:

Provided that no employee of the University under order of suspension shall retire except without specific approval of the Executive Council.

- (ii) The University may, in the public interest, require any teaching or non-teaching employee, after giving at least three months prior notice in writing or after paying an amount equivalent to pay and allowances of three months in lieu of such notice, to retire from such date on which he completes 32 years of qualifying service or attains 52 years of age, or from such date thereafter as may be specified in the notice

56. Code of conduct—

- (1) The Code of conduct of the employees of the University shall be prescribed by Statutes.
- (2) If an employee of the University joins a post or membership by election or otherwise of another institution on account of which work of the University suffers, such an employee shall be required to obtain prior permission and extraordinary leave for a definite period from the University.
- (3) No employee of the University shall engage himself in any trade, business, occupation or in any other work than that of his office without the previous permission of the Vice-Chancellor and in the event of his proceeding on leave without pay he shall not be entitled to receive any salary or allowances from the University Fund but in view of the nature of his duty in another institution he may or may not be allowed to earn any increment during the period. Such extraordinary leave shall be prescribed by Statute:

Provided that if an employee of the University is elected as a member of Central or State Legislature, he shall be deemed to be on special leave without pay for the entire period of his membership. The service condition of such an employee shall be duly safeguarded so that he may continue to earn increment in pay, promotion, seniority and on completion of the term of membership resume his duties in the University:

Provided further that the membership of such an employee of the University body shall be deemed to have expired with effect from the date on which he has become a member of the Central or State Legislature.

57. Effect of Detention—

- (1) If any teaching or non-teaching employee of the University is detained in custody under any law for a period exceeding 48 hours whether on a criminal charge or otherwise on security grounds, he shall with effect from the date of detention be deemed to have been suspended by the order of the appointing authority.
- (2) On being released from detention, he shall not be entitled for any remuneration other than the subsistence allowance for the period of suspension.
- (3) Any employee proceeded against on a criminal charge or retained under any other law providing for preventive detention shall be deemed to be suspended for the period during which he is kept under detention in custody or undergoes the sentence of imprisonment, and shall not be permitted to draw any pay or allowance for the said

period other than subsistence grant payable according to principles contained in the Statutes, until the proceeding initiated against him is closed or, as the case may be, he is released from the detention and permitted to resume duty. The adjustment of his allowances for such periods shall be made according to the circumstances of the case. Full amount shall be paid only when he is acquitted or the detention is found to be unjustified by any competent officer.

- (4) An employee against whom a proceeding on a criminal charge is pending shall, by a special order to this effect, be kept under suspension during the period when he is not actually detained in custody or imprisoned (that is, when he is released on bail), if the charge made against or the proceeding initiated against him is related to his status as an employee or in this manner may embarrass him in the discharge of his duties, as such or it involves the question of moral turpitude. The provisions aforesaid shall apply in respect of his pay and allowances.

58. Pension, Gratuity, Insurance and Provident Fund-

- (1) The University shall, subject to such manners and conditions as may be prescribed by the Statutes, constitute any pension, gratuity, insurance or provident fund, as it may deem fit, for the benefit of its officers, teachers and other employees (excluding those who are members of Public Services of India and whose services are lent to the University). **There shall be no liability of any pensions, gratuity, insurance or provident fund on the State Government.**
- (2) Where any such pension, gratuity, insurance or provident fund is constituted in this manner the State Government may declare that the provisions of the Provident Funds Act, 1925 (Act no. 19 of 1925) shall apply to the said Fund.

59. Authorities and Officers to be responsible- It shall be the duty of every authority and officer of the University to ensure that the interest of the University is duly safe-guarded.

60. Protection of action taken in good faith- No suit or other legal proceedings shall lie against any officer, employee or authority of the University for anything, which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act, the Statutes, the Ordinances, the Regulations or the Rules.

61. Mode of proof of University record- A copy of receipt, application, notice, order, proceeding, resolution of any authority or committee of the University, or other documents in the possession of the University, or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar shall be admitted as evidence of the matters and transactions specified therein where the original thereof would, if produced have been admissible in evidence.

62. Removal of difficulties by the Chancellor at the commencement of this Act- If any difficulty arises in respect of establishment of the University, or in the first implementation of the provisions of this Act or Statutes, or otherwise, the Chancellor may at any time, before the constitution of all the authorities of the University, by order, consistent with the provisions of this Act and Statutes, as far as possible, make any appointment or perform any other function, which seems necessary or proper to him for the removal of the said difficulty, and all such

orders shall take effect in the same manner as if the said appointment or functions has been done in the manner provided in this Act:

Provided that before issuing such an order, the Chancellor shall elicit the opinion of the Vice-Chancellor and of such appropriate authority of the University, as may have been constituted, on the proposed order and give considerations thereon.

63. Transitional Provisions- Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes:

- (1) The first Vice-Chancellor, the first Registrar, the first Registrar(Examination) and the first Finance Officer shall be appointed by the chancellor for a maximum period of and upto three years, provided that the person to be so appointed to the above post must fulfill all the educational qualifications and experiences as are prescribed in sections 11.4 (i), 16(2) 17(1) and 18 (1) of this Act respectively.
- (2) The first Executive Council shall consist of not more than nine members who shall be nominated by the Chancellor and they shall hold office for a term of three years and;
- (3) (i) The first Planning Board shall consist of not more than ten members who shall be nominated by the chancellor and they shall hold office for a term of three years;
- (ii) The Planning Board shall, in addition to the powers and functions conferred on it by this Act, exercise the powers of the Academic Council until the Academic Council is constituted under the provisions of this Act and the Statutes, and in the exercise of such powers, the Planning Board may co-opt such members as it may decide.

64. Election for the purpose of constituting the Executive Council, Planning Board, Academic Council and Finance Committee- The Chancellor shall make such arrangements for the constitution of Executive Council, Planning Board, the Academic Council and the Finance Committee so as to assume charge of their respective offices from the date following the expiry of the period specified in Section-63 and term of office of the members of the said authorities shall be deemed to have commenced from the said date.

65. Powers of nomination by the Chancellor- Notwithstanding anything contained in the preceding sections of this Act, the Chancellor shall, if the Vice-Chancellor reports that, in his opinion, either the election is not immediately possible or it is not in the interest of the University, fill up the vacancies by nomination.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

मुकुलेश चन्द्र नारायण,
प्रभारी प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
